[2022] 19 एस. सी. आर 1140

महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड। & एएनआर।

वी.

मैथियस ओरम और ओआरएस।

(2019 का विविध आवेदन संख्या 232)

नवंबर 3,2022

[उदय उमेश ललित, सीजेआई, एस. रवींद्र भाट और

बेला एम. त्रिवेदी, जे. जे.]

भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 -

कोयले वाले क्षेत्रों (अधिग्रहण और विकास) की प्रयोज्यता अधिनियम, 1957-आयोजितः आर एंड आर अधिनियम उस तारीख से पहले लागू नहीं हो सकता है जब इसे लागू किया गया था, यानी 01.01.2014 से पहले-वर्तमान मामले में, यह उस तारीख से लागू होता है जब केंद्र सरकार ने चौथी अनुसूची में निर्दिष्ट अधिनियम की पहली, दूसरी और तीसरी अनुसूचियों की कार्यवाही को लागू करने के लिए एक अधिसूचना जारी की थी, जो

इस मामले में सी. बी. ए. अधिनियम था इसलिए जिस तारीख को आर. एंड आर. अधिनियम, 2013 लागू होता है, वह 28.08.2015 है-इसके अलावा, उस तारीख से पहले जिस रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया गया था, उसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।

के साथ-गाँवों में रहने वाले भूमि मालिक और विस्थापित परिवार जिनके लिए 28.08.2015 से पहले रिपोर्ट तैयार की गई थी,

इसलिए आर एंड आर अधिनियम, 2013 के लाभों के हकदार नहीं हैं, इसलिए आर एंड आर अधिनियम के लाभ किरिप्सिरा, रतनसारा, झुपुरंगा और तुमुलिया के विस्थापित परिवारों और भूमि मालिकों पर लागू होते हैं -

आगे जारी किए गए निर्देश-भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894

भारत का संविधान-अनुच्छेद 142।

भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 -

मुआवजे का निर्धारण-कट-ऑफ डेट-आयोजितः अधिग्रहित भूमि के लिए मुआवजे का निर्धारण करने के लिए कट-ऑफ तिथि गांव गोपालपुर के संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुमोदित कट-ऑफ तिथि पर आधारित

होनी चाहिए, यानी सितंबर 2010-चूंकि, सामान्य कट-ऑफ तिथि स्वीकार कर ली गई है, इसलिए वैधानिक सहित सभी लाभ इससे प्राप्त होते हैं।

क्षतिपूर्ति और मुआवजे पर ब्याज, पूरे अधिग्रहण कोयला धारक क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम, 1957 के लिए उस कट-ऑफ तिथि के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

1140 महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड। & एएनआर। वी. मैथियस ओरम

& ओआरएस।

भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013। 41 , 42 ओडिशा पुनर्वास और पुनर्वास नीति, 2006-आयोजितः जहाँ तक एस। 41 यह देखते हुए कि अधिग्रहण अधिसूचना 1988 में जारी की गई थी और 1990 में अंतिम रूप दिया गया था और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी

क्षतिपूर्ति निर्धारण के लिए कार्यप्रणाली का संकेत देने वाला न्यायालय

2010 में वितरित किया गया था, एस के संदर्भ में अतिरिक्त विचार देने का सवाल। 41 हालाँकि, चूंकि विस्थापित परिवारों के पुनर्वास और उनके पुनर्वास को आर एंड आर अधिनियम, 2013 के दोनों प्रावधानों द्वारा अनिवार्य किया गया है, जो चल रहे अधिग्रहण के साथ-साथ आर एंड आर नीति 2006 पर भी लागू होता है, इसलिए यह सुनिश्चित करने का दायित्व है कि विस्थापित व्यक्तियों के लाभों को गंभीर और अपूरणीय पूर्वाग्रह में नहीं डाला जाए।

एससी/एसटी के रूप में स्थिति सुनिश्चित की जानी चाहिए-यह एस द्वारा अनिवार्य है। 42 आर एंड आर अधिनियम, 2013 जो निर्देश देता है कि जब भी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की भूमि का अधिग्रहण किया जाता है, तो उनके विस्थापन की आवश्यकता होती है, या तो क्षेत्रों या क्षेत्रों में वे रहते हैं, जिससे वे अन्य क्षेत्रों में चले जाते हैं जहां उनकी जनजाति या जाति आवश्यक रूप से नहीं हो सकती है

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त-वह दर्जा जिसका वे आनंद लेते हैं लेकिन विस्थापन के लिए संरक्षित और संरक्षित किया जाना चाहिए-इस वैधानिक जनादेश और दायित्व को राज्य या एजेंसी द्वारा कानून के मामले में अस्वीकार नहीं किया जा सकता है-निर्देश जारी किया गया।

भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013-राज्य-भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 पर लगाए गए दायित्व-आयोजितः प्रावधान

आर एंड आर अधिनियम, 2013, जिसने पुराने 1894 अधिनियम को प्रतिस्थापित किया, ने पहली बार राज्य पर यह सुनिश्चित करने का दायित्व डाला है कि मुआवजे के अलावा पुनर्वास और पुनर्वास प्रदान किया जाए ये पुनर्वास और पुनर्वास प्रावधान न केवल एक अधिकार से संबंधित हैं।

विस्थापित परिवार के कम से कम एक सदस्य के लिए रोजगार के लिए, लेकिन अन्य मौद्रिक और मूर्त लाभों के लिए भी, जैसे कि भूमि के लिए

घरों का निर्माण, निर्माण के लिए नकद सहायता;

परिवहन लागत; अस्थायी विस्थापन का प्रावधान; वार्षिकी और/या रोजगार लाभों के बदले नकद भुगतान, आदि। - इसके अलावा, तीसरी अनुसूची के प्रावधानों द्वारा, सार्वजनिक स्वास्थ्य लाभ, स्कूल, सामुदायिक केंद्र, सड़कें और अन्य बुनियादी आवश्यकताओं जैसी सार्वजनिक सुविधाओं के लिए विस्तृत प्रावधान किए गए हैं-ये सभी [2022] 19 एस. सी. आर. में हैं।

विस्थापितों को आगे बढ़ाना और राज्य पर व्यापक सामाजिक न्याय दायित्वों को लागू करना।

भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 - s.108 -

ओडिशा पुनर्वास और पुनर्वास नीति, 2006-आयोजितः आर एंड आर अधिनियम, 2013 एस द्वारा। 108 यह भी स्पष्ट रूप से कल्पना की गई है कि नए कानून द्वारा प्रदान किए गए लाभों को आंख मूंदकर लागू नहीं किया जाना चाहिए-जहां भी मौजूदा प्रावधान हैं जो अधिक फायदेमंद हैं या विस्थापित व्यक्तियों को बेहतर लाभ प्रदान करते हैं, ऐसे परिवारों और व्यक्तियों के पास विकल्प है या ऐसी नीति या स्थानीय कानून या आर एंड आर अधिनियम के प्रावधानों को प्राथमिकता देने का विकल्प-अंतर्निहित सिद्धांतों के अनुसार। 108 , स्पष्ट रूप से आर एंड आर नीति 2006 के तहत बताए गए लाभ इस प्रकार प्रतीत होते हैं -

बेहतर, और अधिक विस्तृत।

ओडिशा पुनर्वास और पुनर्वास नीति, 2006

लाभ-एक परिवार इकाई में परिवार का मुखिया या पिता शामिल होंगे। एक बड़ा बेटा, और एक अविवाहित बेटी जो परिभाषा और उसके साथ संलग्न नोट को ध्यान में रखते हुए-यदि, किसी कारण से,

बड़े बेटे को रोजगार नहीं दिया जा सकता है, और एक बड़ा पोता मौजूद है, तो वह विचार के लिए पात्र होगा-अन्य में

शब्दों में, दो सदस्य (पिता और पुत्र या पिता और पोते) रोजगार के लिए पात्र होंगे, न कि तीन, अविवाहित बेटी के अलावा, जिसे भी अलग इकाई के रूप में माना जाना है-आगे, आयोग राज्य की नीतियों में बदलाव के आधार पर निर्णयों को फिर से नहीं खोल सका क्योंकि तथ्यात्मक निर्धारणों के आधार पर उसके द्वारा तय किए गए लाभ स्पष्ट हो गए हैं-कई मामलों में महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एम. सी. एल.) ने वास्तव में कई व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया है-इस प्रकार, सभी मामले जिन पर निर्णय लिया गया है।

और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित किए गए थे जिन्हें फिर से नहीं खोला जा सकता है।

महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड और अन्र बनाम माथियास ओराम और ओरस। (2010) 11 एस. सी. सी. 269; इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम। मनोहर लाल और अन्य। (2020) 8 एससीसी 129: 2020 (3) एससीआर 1; एम. पी. बनाम राज्य नर्मदा बचाओ आंदोलन (2011)

7 एस. सी. सी. 239: 2011 (6) एस. सी. आर. 443-संदर्भित।

महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड। & एएनआर। वी. मैथियस ओरम

& ओआरएस।

मामला कानून संदर्भ

संदर्भित किया गया है

पैरा 9

2020 (3) एससीआर 1

2011 (6) एससीआर 443

संदर्भित किया गया है

पैरा 12

सिविल अपील /

अंतर्ज्ञान

न्यायनिर्णयः

2007 की विशेष अवकाश याचिका (सी) संख्या 6933 में 2019 का विविध आवेदन संख्या 331।

उच्च न्यायालय के 13.11.2006 दिनांकित निर्णय और आदेश से

डब्ल्यू. पी. में उड़ीसा का (ग) 2003 की सं. 11463।

के साथ

कोंम्ट। पालतू जानवर। ((ग) संख्या। 540 , 541 , 542 , 543 , 544 , 545 , 546 , 547 , 553 ,

554 , 555 , 556 , 557 , 558 , 559 , 560 , 561 , 562 , 563 , 564 , 685 , 686 , 687 , 548 , 549 , 550 , 551 , 552 2019 का, एस. एल. पी. (सी) संख्या। 15877-15878 2020 से।

जयंत सूद, ए. एस. जी., आत्माराम एन. एस. नाडकर्णी, वरिष्ठ अधिवक्ता। , अनीश कुमार

गुप्ता, सुश्री अर्चना प्रीति गुप्ता, अवधेश कुमार सिंह, निसर्ग

चौधरी, कार्तिकेय वाजपेयी, पुनीत श्योराण, सुश्री दीपशिखा भारती, सुश्री रीता गुप्ता, वेणुगोपाल अभय, सलवाडा संतोष रिबेलो, सुश्री आरजू पॉल, सुश्री दीप्ति आर्य, आदिराज बाली, वैभव वर्मा, सुश्री प्रियंका दास, रणदीप सचदेवा, मनीष नड्डा, अभिषेक अत्रे, गुरमीत सिंह मक्कर, प्रशांत भूषण, सुश्री नेहा राठी, अशोक

पाणिग्रही, नवाब सिंह, सुश्री गीतांजलि, अमिया कुमार बेहरा, मुदित शर्मा, राहुल श्याम भंडारी, सुश्री जी. प्रियदर्शनी, सुश्री सिमरान गिल, राजीव यादव, प्रदीप वर्मा, एस. के. श्रीवास्तव, गुरदीप सिंह। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एस. रवींद्र भाट, जे.

1. बार-बार दोहराया जाने वाला सूत्र, "न्याय में देरी न्याय से इनकार है"

इन कार्यवाहियों से अधिक बल के साथ आवेदन नहीं किया जा सकता है। आवेदक रिट याचिकाकर्ताओं (इसके बाद, "भूमि मालिकों/विस्थापित व्यक्तियों") ने इस गणराज्य के अस्तित्व के लगभग आधे वर्षों की प्रतीक्षा की है।

2] 19 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

वे मुख्य रूप से आदिवासी समुदायों से संबंधित हैं, और उनकी भूमि को पहली बार 1988 में कोयला खनन के उद्देश्यों के लिए अधिसूचित और अधिग्रहित किया गया था। फिर भी उन्हें मुआवजा नहीं दिया गया है। उनके क्लेशों की उलझी हुई और यातनापूर्ण यात्रा को पिछले लेख में विस्तृत रूप से प्रलेखित किया गया है।

इस न्यायालय का निर्णय। 1.

ए.

पृष्ठभूमि

2. महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (इसके बाद, "एमसीएल") एक सहायक कंपनी है।

कोल इंडिया लिमिटेड (इसके बाद, "सीआईएल") देश का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक है। एम. सी. एल. उड़ीसा उच्च न्यायालय के एक आदेश 2 से व्यथित था, जिसमें उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार और एम. सी. एल. को कोयला धारक क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम, 1957 (इसके बाद, "सी. बी. ए. अधिनियम") के प्रावधानों के तहत भूमि मालिकों को देय मुआवजे को निर्धारित करने और वितरित करने के लिए तुरंत आगे बढ़ने का निर्देश दिया।

जितनी जल्दी हो सके, अधिमानतः छह महीने के भीतर।

3. केंद्र सरकार ने प्रारंभिक अधिसूचना जारी की

सी. बी. ए. अधिनियम की धारा 4 (1) के तहत 11.02.1987 पर, गाँव गोपालपुर और अन्य, सुंदरगढ़ जिला, उड़ीसा में कोयले की संभावना के अपने इरादे को व्यक्त करते हुए। इसके बाद अधिसूचित भूमि के अधिग्रहण के लिए सी. बी. ए. अधिनियम की धारा 7 (1) के तहत एक और अधिसूचना जारी की गई। अंत में, दिनांक 1 की अधिसूचना द्वारा, सी. बी. ए. अधिनियम की धारा 9 के तहत भूमि अधिग्रहण की घोषणा की गई, जिसके कारण भूमि पूरी तरह से केंद्र सरकार में निहित हो गई। आई. डी. 1 पर, केंद्र सरकार ने सी. बी. ए. अधिनियम की धारा 11 के तहत अधिसूचना जारी की, जिसमें अधिग्रहित भूमि और उसमें सभी अधिकार एम. सी. एल. को पूर्वव्यापी रूप से आई. डी. 2 से निहित किए गए। उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाकर्ता भूमि मालिक थे जिन्हें उनकी भूमि के लिए कोई मुआवजा नहीं दिया गया था। अनिवार्य रूप से इसकी मांग करने के बाद, भूमि मालिकों ने मुआवजे के लिए निर्देश की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उच्च न्यायालय के समक्ष, भूमि मालिकों के दावे कोल इंडिया लिमिटेड (इसके बाद, "सीआईएल") और केंद्र सरकार के बीच विवाद में उलझे हुए थे। सी. आई. एल. ने आग्रह किया कि उसे अब भूमि की आवश्यकता नहीं है, जबकि केंद्र सरकार ने सी. आई. एल. के दिनांक 1 के आदेश द्वारा अधिसूचना रद्द करने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय ने कहा कि सी. बी. ए. अधिनियम की धारा 9 के तहत भूमि बेदखल करने वाले को गणना किए गए कारकों को ध्यान में रखते हुए मुआवजा दिया जाना था सी. बी. ए. अधिनियम की धारा 13 (5) के तहत। एमसीएल ने इस अदालत के समक्ष एक विशेष अनुमति याचिका दायर की। अदालत ने तब की सहायता मांगी थी

1 1 महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड और अन्र बनाम माथियास ओराम और ओरस। , (2010) 11 एससीसी 269। 2 डब्ल्यू. पी. (सिविल) No.11463/2003 (उड़ीसा उच्च न्यायालय), दिनांक 13.11.2006।

हनाडी कोल फील्ड्स लिमिटेड। & एएनआर। वी. मैथियस ओरम एंड ओआरएस। [एस. रवींद्र भाट, जे.]भारत के लिए महाधिवक्ता श्री गोपाल सुब्रमण्यम, जिन्होंने एक एनई का प्रस्ताव रखा था जिसे इस अदालत ने स्वीकार कर लिया था, ने अपने फैसले में बताया

अनादी कोल फील्ड्स लिमिटेड (ऊपर)।

4. निर्णय के कार्यात्मक भाग का प्रासंगिक उद्धरण है -

निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया गयाः

" 22. श्री सुब्रमण्यम द्वारा प्रस्तावित और सहमत योजना

केंद्र सरकार और कोयला कंपनी द्वारा

इस प्रकार हैः

" 1. गाँव गोपालपुर, जिला सुंदरगढ़, उड़ीसा में भूमि

केंद्र सरकार द्वारा अधिग्रहित स्टैंड और स्वामित्व

एमसीएल के पास निहित है जो मुआवजे का निर्धारण और भुगतान करेगा

पूर्व भूस्वामियों के लिए।

2. अधिग्रहित भूमि के विशाल हिस्से के संबंध में (उस क्षेत्र को छोड़कर जहां खनन गतिविधियाँ की जा रही हैं), वास्तविक भौतिक कब्जा कभी नहीं लिया गया था। उड़ीसा राज्य और

इसके अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि वे वास्तविक रूप से एमसीएल की सहायता करें

अधिग्रहित भूमि का अधिकार।

3. चूंकि यह मामला 1987 के अधिग्रहण से संबंधित है।

दो दशक से अधिक समय पहले, वास्तविक भौतिक का विस्तार

अधिकार को फिर से प्रमाणित करने की आवश्यकता है, यह आवश्यक है कि वास्तविक भूमि मालिक, देय मुआवजे की राशि, कब्जे की स्थिति, उपयोग जिसके लिए भूमि को अंतिम रूप से रखा गया है।

दो दशक की खोज की गई है। पूरी ज़मीन चाहिए

फिर से सर्वेक्षण किया गया।

4. विद्वान अधिवक्ता की सलाह के अनुसार

सामान्य तौर पर, एक दावा आयोग का गठन करने की आवश्यकता है

केंद्र सरकार के साथ-साथ एम. सी. एल. के प्रतिनिधि। यह. प्रस्तुत किया जाता है कि दावा आयोग में 3 शामिल होंगे

सदस्यः

(क) उड़ीसा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश (अध्यक्ष);
(ख) एक अधिकारी जिसने इसके समकक्ष पद/पद धारण किया हो।

भारत सरकार के सचिव का पद;

(ग) अध्यक्ष, कोल इंडिया द्वारा नामित एक अधिकारी।

लि.

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ऐसे भागों को याचिकाकर्ता द्वारा ले लिया गया है। दावा आयोग सिफारिश करने के लिए खुला रहेगा। उक्त भूमि का डीनोटिफिकेशन/अधिग्रहण से मुक्त करना।

7. उपरोक्त प्राप्त विशेष तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, केंद्र सरकार को अधिग्रहण से उक्त भूमि को एक विशेष मामले के रूप में अधिसूचित करने की अनुमति दी जा सकती है, क्योंकि भूमि की आवश्यकता नहीं है और कब्जा भी कभी नहीं लिया गया था। 8. यहाँ तक कि अधिसूचित भूमि के मामले में भी, उपयुक्त

उचित मामलों में, भूमि मालिकों को मुआवजे का भुगतान करना पड़ सकता है। दावा आयोग एक रिपोर्ट भी दे सकता है।

9. विद्वान महान्यायवादी ने राय दी है कि ऐसे मामले अनिश्चित अधिग्रहण या लंबित मुआवजे के दावों से अनावश्यक सामाजिक तनाव पैदा होता है और याचिकाकर्ता को सुशासन की भावना से काम करना चाहिए। सभी की जांच करने पर

विद्वान महान्यायवादी की राय के आलोक में, एकरूपता के साथ-साथ निष्पक्षता के लिए, उपरोक्त अभ्यास निम्नलिखित के लिए किया जाएगाः गाँव भीः

((i) सरदेगा

((ii) झुपुरुंगा

(iii) रतनसारा

(iv) टिकिलीपारा हनाडी कोल फील्ड्स लिमिटेड। & एएनआर। वी. मैथियस ओरम और ओआरएस। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

(v)

सियारमल

(vi) तुमुलिया

(vii) कार्लिकाचर

(viii) कुलदा

(ix) बांकीबहल

(x) बालिंग

(xi) गर्जनबहल

(xii) बांगुरकेला

(xiii) किरिप्सिरा

(xiv) लालमा आर. एफ.

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि सरदेगा और टिकिलीपारा गाँवों के मामले में आंशिक भुगतान पहले ही किया जा चुका है। इसके अलावा, बांकीबहल और बालिंगा गाँवों के मामले में, पूरा भुगतान पहले ही किया जा चुका है, लेकिन पूरी तरह से कब्जा नहीं किया गया है।

10. याचिकाकर्ता और केंद्र सरकार आयोग की स्थापना में प्रावधान सहित सहायता करेंगे। उपयुक्त आधारभूत संरचना। आयोग को देय मानदेय इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

11. यह आदेश सभी पक्षों की सहमति से पारित किया जा रहा है।

और इस मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में। उक्त आदेश पूर्ववर्ती के रूप में कार्य नहीं करेगा। 23. श्री सुब्रमण्यम द्वारा प्रस्तावित योजना श्री जनार्दन दास को दिखाई गई, जो श्री सुब्रमण्यम की ओर से पेश हुए।

प्रत्यर्थी-रिट याचिकाकर्ता और उन्होंने अपना एक्सप्रेस भी दिया

इसे स्वीकार करें। हम, तदनुसार, योजना को मंजूरी देते हैं लेकिन कुछ स्पष्टीकरणों और संशोधनों के साथ जैसा कि नीचे बताया गया है। 24. हम पूर्व न्यायाधीश श्री ए. के. परिछा को नामित करते हैं।

आयोग के अध्यक्ष के रूप में उड़ीसा के उच्च न्यायालय से। महान्यायवादी महोदय, सचिव के परामर्श से, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार, एक ऐसे अधिकारी को नामित करेगा जिसने भारत सरकार के सचिव के पद के समकक्ष पद/पद संभाला हो और वह सदस्य (2022) 19 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आज से दो सप्ताह के भीतर आयोग। इसी तरह, कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष आयोग के अन्य सदस्य के रूप में एक अधिकारी को नामित करेंगे। श्री न्यायमूर्ति ए. के. परिछा को उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश के मासिक वेतन के बराबर मानदेय दिया जाएगा और वह अन्य सभी के हकदार होंगे।

उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश के लिए उपलब्ध सुविधाएँ। श्री सुब्रमण्यम/सचिव, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नामित अधिकारी इसी तरह सेवारत अधिकारी के लिए उपलब्ध मानदेय और अन्य सुविधाओं का हकदार होगा।

अपने पद से। आयोग के सभी खर्च वहन किए जाएंगे।

कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा

25. आयोग अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा जैसा कि इसमें परिकल्पित है।

योजना, सबसे पहले उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले के गोपालपुर गाँव में भूमि के संबंध में, जितनी जल्दी हो सके और किसी भी स्थिति में आज से चार महीने के बाद नहीं। यदि आयोग किसी भी हिस्से को अधिसूचित करने/जारी करने की सिफारिश करता है

पूर्व में अधिग्रहित भूमि की, यह भूमि धारक को देय मुआवजे/अन्य लाभ की दर या राशि भी निर्धारित करेगी। आयोग अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को नहीं बल्कि अनुमोदन और आगे के निर्देशों के लिए इस न्यायालय को सौंपेगा। भूमि का कोई भी डीनोटिफिकेशन/रिलीज केवल आयोग की रिपोर्ट के आलोक में इस न्यायालय द्वारा पारित आगे के आदेशों के अधीन होगा। आयोग अन्य गाँवों में अधिग्रहित भूमि के संबंध में सर्वेक्षण के साथ आगे बढ़ सकता है, जैसा कि योजना के पैरा 9 में सुझाव दिया गया है, केवल गाँव गोपालपुर के संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद और आगे के अधीन इस न्यायालय के आदेश। राज्य सरकार और कोयला कंपनी के अधिकारी रिपोर्ट तैयार करने और उसे जारी करने में आयोग को पूरी मदद और सहयोग देंगे।

योजना के संदर्भ में उनके कर्तव्यों का "।

5. इस न्यायालय द्वारा नियुक्त दावा आयोग ने नोटिस जारी किए और उन सभी लोगों को निर्धारित करने के लिए दावा करने के लिए कहा जो संरक्षण और पुनर्वास के लिए पात्र हैं, और इसकी सीमा। गाँव गोपालपुर की रिपोर्ट के आधार पर, अदालत ने 19.04.2012 पर एक आदेश पारित किया, जिसमें इसमें निहित सिफारिशें शामिल थीं। आवर्ट के आदेश के प्रासंगिक उद्धरण इस प्रकार हैं:

" न्यायमित्र ने आयोग द्वारा हनाडी कोल फील्ड्स लिमिटेड के मुआवजे की राशि तय करने के तरीके की तीन व्यापक विशेषताओं की ओर इशारा किया।

& एएनआर। वी. मैथियस ओरम और ओआरएस। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

याचिकाकर्ता कंपनी महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड द्वारा अधिग्रहित ग्रामीणों की भूमि के लिए।

सबसे पहले, अधिग्रहण अधिसूचना बहुत पहले वर्ष 1984 में जारी की गई थी, लेकिन पिछले 28 वर्षों से ग्रामीणों/भूमि धारकों को कोई मुआवजा नहीं दिया गया था। इसलिए आयोग ने यह विचार व्यक्त किया कि अधिग्रहण अधिसूचना की तारीख के संदर्भ में भूमि का बाजार मूल्य तय करना पूरी तरह से अनुचित, अन्यायपूर्ण और अनुचित होगा।

आयोग द्वारा सितंबर, 2010 में दिए गए सर्वेक्षण के नोटिस की तारीख, अधिग्रहण के तहत भूमि के बाजार मूल्य को निर्धारित करने के लिए प्रासंगिक होने के रूप में। न्यायमित्र ने आयोग द्वारा लिए गए दृष्टिकोण का समर्थन किया और मामले के तथ्यों में, हम भी पूरी तरह से

अधिग्रहण के तहत भूमि का बाजार मूल्य निर्धारित करने की तारीख के संबंध में आयोग के निर्णय का समर्थन करें।

दूसरा, मुआवजे की दर तय करने के संबंध में, न्यायमित्र ने प्रस्तुत किया कि आयोग ने एक बहुत ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो इस न्यायालय द्वारा अनुमोदित होने के लिए उपयुक्त था। हम मुआवजे की दर तय करने के लिए आयोग द्वारा अपनाई गई विधि और मुआवजे की वास्तविक राशि को स्वीकार करते हैं।

व्यक्ति को भुगतान के लिए निर्धारित मुआवजा

जमींदार।

तीसरा, के संबंध में। पुनर्वास नीति, आयोग ने वर्ष 2006 की पुनर्वास नीति को लागू किया है क्योंकि यह वर्ष 1998 की पिछली पुनर्वास नीति की तुलना में भूमि धारकों के लिए अधिक उदार और फायदेमंद है। इस संबंध में भी हम उनके द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से पूरी तरह सहमत हैं।

आयोग।

संक्षेप में, हम आयोग की रिपोर्ट को हर तरह से स्वीकार करते हैं और इसे इस न्यायालय का आदेश बनाते हैं। इस स्तर पर हम न्यायमित्र द्वारा सुझाए गए मामले के कुछ अन्य पहलुओं की ओर आयोग का ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। न्यायमित्र ने ठीक ही कहा कि जिन गाँवों में बड़े क्षेत्रों में भूमि का अधिग्रहण किया गया है, वहाँ स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना को भी याचिकाकर्ता का दायित्व बनाया जाना चाहिए-कंपनी

जिनके लाभ के लिए अधिग्रहण किए जाते हैं।

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

हमें इस बात की जानकारी नहीं है कि 2006 की पुनर्वास नीति में भूमि अधिग्रहण से प्रभावित गांवों में स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने का प्रावधान है या नहीं। यदि पुनर्वास नीति में ऐसे प्रावधान नहीं हैं, तो आयोग महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड को भूमि अधिग्रहण से प्रभावित सभी गांवों में पर्याप्त संख्या में शिक्षकों और सुसज्जित स्वास्थ्य केंद्रों के साथ अच्छे, कार्यात्मक स्कूल प्रदान करने का निर्देश देने पर विचार कर सकता है।

मुआवजे की राशि और यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्षतिपूर्ति/पुनर्वास लाभ वास्तव में भूमि मालिकों द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। इस संबंध में आयोग विचार कर सकता है।

मुआवजे की राशि के अलग-अलग भुगतान का निर्देश देना ताकि मुआवजे का पैसा पूरी तरह से बर्बाद न हो। श्री अशोक पाणिग्रही ने कहा कि कुछ भूमि धारक जिनकी भूमि भी अधिग्रहण में ली गई थी, वे आयोग के समक्ष अपने दावे प्रस्तुत करने में असमर्थ थे क्योंकि वे गए थे।

झारखंड को अपनी आजीविका कमाने के लिए। यदि ऐसा है, तो उनके लिए आयोग के समक्ष अपना अभ्यावेदन देना खुला रहेगा जो उन अभ्यावेदनों पर विचार करेगा और उचित और उचित आदेश पारित करेगा। हम आयोग द्वारा किए गए श्रमसाध्य कार्य की गहराई से सराहना करते हैं और इसका अनुरोध करते हैं

गोपालपुर गाँव के संबंध में उसके द्वारा बनाए गए मॉडल का पालन करते हुए बाकी गाँवों के संबंध में अपने अच्छे काम को जारी रखना, जहाँ भूमि का अधिग्रहण किया गया था।

महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड। & एएनआर। वी. मैथियस ओरम

& ओआरएस। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

हम अपने निर्देश को दोहराते हैं कि उड़ीसा की सरकार,

महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड और स्थानीय प्रशासन आयोग के काम में और मुआवजे के भुगतान के संबंध में आयोग के निर्देशों के कार्यान्वयन में पूरी सहायता, सहायता और सहयोग प्रदान करेंगे।

संबंधित को स्वीकार्य पुनर्वास पैकेज

जमींदार।

आयोग की भाग-II रिपोर्ट की प्रतियां न्यायमित्र, जी. पी. को दी जाएं। कैप्टन करण सिंह भाटी और श्री अशोक पाणिग्रही, पक्षों के वकील, और उसके बाद इसे एक सीलबंद लिफाफे में रखा जा सकता है।

6. गोपालपुर मॉडल का अनुसरण करते हुए आयोग ने बालिंगा, बांकीबहल, सरदेगा और तिकलीपारा गाँवों के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की। अपने दिनांक 1 के आदेश द्वारा, इस न्यायालय ने उन रिपोर्टों को मंजूरी दी और कहा कि आयोग अन्य गांवों में (जहां तक व्यावहारिक हो) उसी आधार का पालन कर सकता है जिसके लिए अभी तक मुआवजा तय नहीं किया गया था। उस क्रम के प्रासंगिक भाग को निम्नानुसार निकाला गया है:

" दावा आयोग से एक और रिपोर्ट प्राप्त होती है,

भुवनेश्वर, अनुशंसित समग्र शीर्षक के तहत

गाँव बालिंगा, बांकीबहल के लिए क्षतिपूर्ति पैकेज,

सरदेगा और टिकिलीपारा। हम सभी को स्वीकार और अनुमोदन करते हैं

आयोग द्वारा की गई सिफारिशें और उससे अपनी सिफारिशों के आधार पर आगे बढ़ने का अनुरोध

इस न्यायालय द्वारा पारित पिछले आदेशों का प्रकाश।

हम आगे देखते हैं कि आयोग इसका अनुसरण कर सकता है जहाँ तक

अन्य गाँवों में भी यही आधार व्यावहारिक है, जिनकी भूमि के लिए उसके द्वारा अभी तक मुआवजा तय नहीं किया गया है। आयोग से प्राप्त रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में रखा जाए।

दावा आयोग से आगे की रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रस्तुत करें, भुवनेश्वर।

7. अपने दिनांकित 10.04.2013 के आदेश द्वारा, इस अदालत ने स्वीकार किया और मंजूरी दी

गाँव कुलदा और गर्जन बहल के संबंध में आयोग की रिपोर्ट। आई. डी. 1 के एक अन्य आदेश द्वारा, इस अदालत ने गाँव कार्लिकाचर के लिए आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। उस आदेश में, अदालत ने आगे कहा कि दो गाँवों किर्पसिरा और रतनसारा की भूमि केंद्र सरकार द्वारा कुछ अन्य कंपनियों को हस्तांतरित की

गई थी। इसलिए अदालत ने आयोग से दोनों गांवों और [2022] 19 एस. सी. आर. के संबंध में आगे बढ़ने का अनुरोध किया।

यह कहा कि प्रारंभिक चरण में, मुआवजे का भुगतान उसका दायित्व होगा जो बाद में उत्तराधिकारी से राशि की वसूली कर सकता है। अपने दिनांक 25.10.2013 के आदेश द्वारा, इस न्यायालय ने कहा कि पुनर्वास के लिए संरचना ओडिशा पुनर्वास नीति, 2006 (इसके बाद, "आर एंड आर नीति 2006") और (तत्कालीन) उचित मुआवजे के अधिकार की अनुसूची के संदर्भ में होनी चाहिए और

भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास विधेयक,

8. 10.07.2017 पर, इस अदालत ने विंग टिप्पणियों और निर्देशों के साथ अपील का निपटारा कियाः

" इस न्यायालय के आदेशों के अनुसरण में, न्यायमूर्ति परिछा द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी जिसे इस द्वारा स्वीकार कर लिया गया था।

न्यायालय लेकिन इसका कार्यान्वयन अभी भी अधूरा रहा।

इस प्रकार हैः " (i) जहां तक किसी भी मुआवजे की राशि का संबंध है जो सावधि जमा में पड़ी है, उसका लेखा निम्नलिखित रूप में दिया जाना चाहिए -

कलेक्टर के साथ-साथ वरिष्ठ अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से आवधिक अंतराल

एमसीएल के अधिकारी। उक्त राशियों को सुरक्षित रखा जाना चाहिए।

आयोग और आयोग इस न्यायालय से उचित निर्देश लेने के लिए स्वतंत्र होंगे और

जब उसका काम पूरा हो जाए।

(ii) कलेक्टर, सुंदरगढ़ के साथ-साथ एम. सी. एल. के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी करें कि

31 जुलाई, 2017 को या उससे पहले 8 गाँवों (बालिंगा, बांकीबहल, गर्जन बहल, गोपालपुर, कार्लीकाचर, कुंडा, सरदेगा और तिकलीपाड़ा) के सभी लाभार्थियों को मुआवजे का वितरण और 31 नवंबर, 2017 को या उससे पहले 2 गाँवों (सिरमल और बांगुरकेला) के सभी लाभार्थियों को मुआवजे का वितरण सुनिश्चित करना।

(iii) संभागीय आयुक्त, संबलपुर, जो लोग नहीं आए हैं, उनका पता लगाने के लिए पर्याप्त प्रयास किए गए हैं

मुआवजा पाने के लिए। संबंधित कलेक्टर करेंगे उन राज्यों में अपने समकक्षों से संपर्क करें जहां पुरस्कार विजेता प्रवास करने के लिए जाने जाते हैं, और उनकी पहचान करने के लिए उपयुक्त कार्यप्रणाली अपनाएं।

चिन्तित व्यक्ति।

हनाडी कोल फील्ड्स लिमिटेड। & एएनआर। वी. मैथियस ओरम और ओआरएस। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

(iv) एम. सी. एल. के अधिकारियों को एक सूची प्रस्तुत करने के लिए निर्देश जारी करें, जिसे कलेक्टर और सहायक राजस्व अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से सत्यापित किया जाए, जिसमें सभी पुरस्कार विजेताओं के नाम बताए जाएं।

क्षतिपूर्ति, भुगतान के हकदार होने की तारीखें, भुगतान किए जाने की वास्तविक तारीखें और क्या उस भुगतान में ब्याज शामिल था, दावा आयोग के साथ-साथ दावा आयोग की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को।

उत्तरदाता पक्ष।

माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुसार भुगतान किया जाना। यदि न्यायालय के आदेशों के अनुसार ब्याज का भुगतान नहीं किया गया तो विलंबित भुगतान के संबंध में ब्याज का भुगतान किया जाएगा। (vi) जहां एम. सी. एल. द्वारा धोखाधड़ी और प्रतिरूपण के वास्तविक मामलों का आरोप लगाया जाता है, दावा आयोग को ऐसे मामलों की जांच करने और विद्वान न्यायमित्र को सिफारिशें भेजने का अधिकार होगा।

(vii) एमसीएल के अधिकारियों को प्रक्रिया को पूरा करने का निर्देश दें।

8 गाँवों (बालिंगा, बांकीबहल, गर्जन बहल, गोपालपुर, कार्लीकाचर, कुंडा, सरदेगा और तिकलीपाड़ा) के संबंध में 31 जुलाई, 201 को या उससे पहले और 2 गाँवों (सिरमल और बांगुरकेला) के संबंध में 31 नवंबर, 2017 को या उससे पहले वार्षिकी सहित रोजगार के बदले मौद्रिक मुआवजे का भुगतान करना।

(viii) एमसीएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक को किसी भी अवैध खनन को तुरंत रोकने के लिए निर्देश जारी करें।

एमसीएल द्वारा किसी भी कृषि भूमि पर किया गया कार्य गाँव।

(ix) इसे पूरा करने के लिए एम. सी. एल. अधिकारियों को निर्देश जारी करें।

30 सितंबर, 2017 को या उससे पहले दो स्थलों (अर्थात् बारापल्ली द्वितीय और चटनपल्ली) में पुनर्वास कॉलोनियों का विकास।

(x) एक बार जब पुनर्वास स्थलों में से एक भी तैयार हो जाता है और साइट को दावा आयोग द्वारा स्थानांतरित करने के लिए उपयुक्त के रूप में प्रमाणित किया जाता है, तो माननीय दावा आयोग पास [2022] 19 एस. सी. आर. का भुगतान कर सकता है।

उन व्यक्तियों को स्थानांतरित करने के लिए उपयुक्त आदेश जो उक्त साइट में आर एंड आर लाभों के हकदार हैं।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि निम्नलिखित सामान्य निर्देश भी आवश्यक हैं -

(xi) कि एम. सी. एल. का प्रबंध निदेशक या तो स्वयं या एक नामित अधिकारी द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों और आयोग के आदेशों के कार्यान्वयन के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा।

(xii) मुआवजे के वितरण की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए एम. सी. एल. द्वारा उपयुक्त कदम उठाए जाएंगे।

(xiii) आयोग की संतुष्टि के लिए मुआवजा वितरित किया जाएगा। (xiv) उन सभी को रोजगार की पेशकश की जानी चाहिए जो छूट गए हैं (किसी भी रोजगार में श्रेणी I और II की पेशकश की जानी चाहिए और आयोग की संतुष्टि के लिए पूरी की जानी चाहिए।

(xv) आज से नौ महीने की अवधि के भीतर पुनर्वास के कदम पूरे किए जाने चाहिए। (xvi) केवल आयोग और विशेषज्ञों द्वारा प्रमाणित किए जाने वाले पुनर्वास पर कि आयोग द्वारा एक नोटिस जारी किया जा सकता है जिसमें विस्थापितों को वैकल्पिक स्थलों पर स्थानांतरित करने के लिए कहा जा सकता है।

(xvii) आयोग द्वारा इस संबंध में नए नोटिस जारी किए जाएं -

पुरस्कार विजेता जिन्हें धन प्राप्त नहीं हुआ है

(xviii) जिन पुरस्कार विजेताओं को समय पर धन का भुगतान नहीं किया गया है, उनके संबंध में ब्याज देय है और ऐसा ब्याज आयोग द्वारा इस माननीय न्यायालय के आदेशों के संदर्भ में 15 प्रतिशत से अधिक की दर पर दिया जाना चाहिए।

(xix) यह भी आवश्यक है कि सभी पुरस्कार विजेताओं और एम. सी. एल. के नामों की एक सूची और कलेक्टर द्वारा उन्हें किए गए दावों के लिए संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित राशि को आयोग के साथ-साथ निर्वासितों के लिए परामर्श भी उपलब्ध कराया जाए।

तुरंत,

(x) जहाँ तक पुनर्वास और पुनर्वास के लिए अतिरिक्त भूमि के अधिग्रहण का संबंध है, संबलपुर के संभागीय आयुक्त सहित राज्य के अधिकारियों द्वारा उपयुक्त सहायता प्रदान की जाएगी। हनाडी कोल फील्ड्स लिमिटेड।

& एएनआर। वी. मैथियस ओरम और ओआरएस। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

हम व्यापक रूप से की गई सिफारिशों से सहमत हैं।

विद्वान एमिकस द्वारा। हालाँकि, हम अपीलकर्ताओं या किसी अन्य प्रभावित पक्ष को उच्च न्यायालय/आयोग के समक्ष अपनी आपत्तियाँ रखने के लिए खुला छोड़ते हैं क्योंकि हम ऐसे मामलों को उच्च न्यायालय द्वारा निपटाए जाने के लिए छोड़ने के इच्छुक हैं।

न्यायालय/आयोग।

सिफारिश XIV के संबंध में, अपीलार्थियों के विद्वान वकील को इस आधार पर आपत्ति है कि मुद्दा है उड़ीसा पुनर्वास और पुनर्वास नीति 2006 के अंतर्गत आता है।

विद्वान न्यायमित्र का कहना है कि यह सिफारिश परिछा आयोग की रिपोर्ट के अनुरूप है जिसे इस न्यायालय द्वारा पहले ही स्वीकार कर लिया गया है। यदि आवश्यक हो तो मामले के इस पहलू पर उच्च न्यायालय द्वारा विचार किया जा सकता है।

जो मुद्दे बचे हुए हैं उनमें से एक निर्माण के संबंध में है।

पुनर्वास के लिए आवंटित भूमि पर आवास और

प्रभावित व्यक्तियों द्वारा पुनर्वास। अपीलार्थियों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री धनखड़ का कहना है कि यह स्पष्ट नहीं है कि ऐसे सभी व्यक्ति निर्मित आवास चाहते हैं या नहीं। इसलिए इस तरह के निर्माण पर आपत्ति जताने के लिए जिला कलेक्टर के कार्यालय में एक नोटिस दिया जाएगा। वे जो अपीलार्थी द्वारा प्रस्तावित निर्मित आवास के अलावा आवास के लिए जाने के अपने विकल्प को स्पष्ट रूप से इंगित न करें, ऐसा विकल्प नोटिस के एक सप्ताह के भीतर इंगित किया जाए, उन्हें ऐसे आवास के आवंटन का विकल्प चुनने के लिए तैयार माना जाएगा।

अपीलार्थी द्वारा निर्मित आवास।

हम पहले से ही आवश्यक बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं को स्वीकार करते हैं।

इस न्यायालय द्वारा निर्देशित कार्य स्थल पर विधिवत प्रदान किया जाएगा।

उपरोक्त के अधीन, यह उच्च न्यायालय/आयोग के लिए खुला रहेगा, परिछा आयोग की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए, जिसे पहले ही स्वीकार कर लिया गया है, विचार करने के लिए। कोई और निर्देश जारी करना। '

9. दिनांक 13.10.2020 के आदेश द्वारा, इस अदालत ने एमसीएल को सभी पक्षों के साथ सभी स्थिति रिपोर्ट और उसके साथ उपलब्ध प्रासंगिक दस्तावेजों को निर्देश दिया था। इसके अलावा, अदालत ने दर्ज किया कि जैसा कि पिछले आदेश दिनांक 02.09.2020 से पता चलता है,,31 , 46, 942.78 संबंधित प्राधिकारी के पास जमा किया गया था।

आत्माराम नाडकर्णी, भारत के विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल,

(इसके बाद, "आर एंड आर अधिनियम, 2013") लागू हुआ। रिलायंस को उस अधिनियम की धारा 24 के साथ-साथ इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम में संविधान पीठ द्वारा पारित इस अदालत के फैसले पर भी रखा गया था। मनोहर लाल और ओआरएस। , 3 यह आग्रह करने के लिए कि मुआवजे के निर्धारण से संबंधित 2013 अधिनियम के प्रावधान इसलिए लागू होने चाहिए। यह भी आग्रह किया गया कि जिला कलेक्टर, सुंदरगढ़ द्वारा प्रस्तुत एक सारणीबद्ध चार्ट,

इंगित किया कि विभिन्न गाँवों में कम से कम छह स्थलों के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी द्वारा पूरा होने का कोई प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया था, और दो अन्य स्थलों के संबंध में, पुनर्वास और पुनर्वास कार्य अभी भी प्राथमिक चरण में था।

10. कई आवेदन भेजे गए थेः कुछ एमसीएल द्वारा, और कई

भूमि मालिकों द्वारा अधिक, दिशाओं की एक श्रृंखला की तलाश में। इसके अलावा, कुछ अवमानना कार्यवाही भी शुरू की गई, जिसमें कहा गया कि निर्देश

इस न्यायालय का पूरी तरह से अनुपालन नहीं किया गया, या उचित रूप से लागू नहीं किया गया। इन सभी आवेदनों की सुनवाई इस अदालत ने की थी। इस प्रकार यह निर्णय उन सभी आवेदनों और अवमानना याचिकाओं का निपटारा करेगा।

11. सुनवाई के दौरान, पक्षों के लिए वकील

निम्नलिखित मुद्दों पर प्रस्तुतियाँः

प्वाइंट नं. 1 : मुआवजे की तारीख या तारीखें

आई.

गणना योग्य बन गया (जिसे 'कट-ऑफ डेट' भी कहा जाता है);

ii.

प्वाइंट नं. 2 : आर एंड आर अधिनियम, 2013 की प्रयोज्यता; प्वाइंट नं. 3 , 4 और 5: क्या आर एंड आर नीति 2006 लागू होती है,

111 .

या 2013 की बाद की नीति; यदि बाद की नीति (2013 की) लागू होती है, तो रोजगार लाभों के उद्देश्य से, क्या परिवार इकाई का प्रतिनिधित्व एक एकल सदस्य द्वारा किया गया था, या उनमें से कई; और क्या आयोग परिवर्तन के आधार पर फिर से निर्णय ले सकता है।

3 इंदौर विकास प्राधिकरण (एल. ए. पी. एस. ई.-5 जे.) बनाम। मनोहरलाल, (2020) 8 एससीसी 129।

हनाडी कोल फील्ड्स लिमिटेड। & एएनआर। वी. मैथियस ओरम और ओआरएस। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

राज्य की नीतियों की रिपोर्ट को स्वीकार करने के बाद

यह अदालत;

प्वाइंट नं. 6 : आवास भूखंडों की पात्रता; और

iv.

प्वाइंट नं. 7 : सुविधाओं और सुविधाओं का निर्माण, जैसे -

वी.

विद्यालय, सामुदायिक केंद्र, चिकित्सा सुविधाएं आदि।

विश्लेषण

बी.

12. किसी बिंदु-दर-बिंदु विश्लेषण में जाने से पहले, यह एम. पी. वी. की स्थिति के मामले में सहायक है। नर्मदा बचाओ आंदोलन, 4

लेख के चश्मे से पुनर्वास के सार पर प्रकाश डाला गया

संविधानः

" भूमि अधिग्रहण और पुनर्वासः अनुच्छेद 21

26. संबंधित प्राधिकारी के लिए यह सुनिश्चित करना वांछनीय है कि -

जहाँ तक व्यवहार्य व्यक्ति जो जीवित थे और ले जा रहे थे

अधिग्रहित भूमि पर व्यवसाय या अन्य गतिविधि पर, यदि वे चाहते हैं, और किसी भी वस्तु को खरीदने और उसका अनुपालन करने के इच्छुक हैं।

प्राधिकरण या स्थानीय निकाय की आवश्यकता दी जाए

जिस कीमत पर उनसे भूमि का अधिग्रहण किया गया है, उसे ध्यान में रखते हुए तय की गई शर्तों पर भूमि का टुकड़ा। हालांकि,

राज्य सरकार को विकल्प प्रदान करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है

निर्वासितों के लिए आवास और यह प्राधिकरण के लिए है वांछनीयता और व्यवहार्यता पर विचार करने के लिए संबंधित

तथ्यों पर विचार करते हुए वैकल्पिक भूमि प्रदान करना और

प्रत्येक मामले की परिस्थितियाँ।

27. कुछ मामलों में निर्वासित लोग पुनर्वास के हकदार हैं।

निवास के नुकसान के कारण बेसहारा कर दिया गया या भूमि अधिग्रहण के परिणामस्वरूप आजीविका। द.

अधिकारियों को पुनर्वास के रास्ते तलाशने चाहिए

रोजगार, आवास, निवेश के अवसर, और वैकल्पिक भूमि की पहचान करना।

" 10. ..... विकास की एक पलक झपकाने वाली दृष्टि, उन लोगों के प्रति पूर्ण उदासीनता जो इससे अत्यधिक प्रतिकूल रूप से प्रभावित हैं

विकास प्रक्रिया और एक सनकी चिंता के लिए कानूनों के प्रवर्तन से ऐसी स्थिति पैदा होती है जहाँ अधिकार

और इसके तहत वादा किए गए और गारंटीकृत लाभ

एम. पी. बनाम नर्मदा बचाओ आंदोलन, (2011) 7 एस. सी. सी. 639।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संविधान शायद ही कभी सबसे हाशिए पर पहुँचता है

नागरिक "। (महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड मामला [महानदी]

कोलफील्ड्स लिमिटेड बनाम माथियास ओराम, (2010) 11 एस. सी. सी. 269: (2010) 4 एससीसी (सी. आई. वी.) 450: जे. टी. (2010) 7 एस. सी. 352], एस. सी. सी पी.

273 , पैरा 10)

उन लोगों के लिए जिनके जीवन और आजीविका आंतरिक रूप से हैं।

भूमि से जुड़ा हुआ, बाजार अर्थव्यवस्था में आर्थिक और सांस्कृतिक बदलाव दर्दनाक हो सकता है। (राज्य के माध्यम से यू. पी. वी. पिस्ता देवी [(1986) 4 एससीसी 251: ए. आई. आर. 1986 एस. सी. 2025], नरपत सिंह बनाम। जयपुर विकास प्राधिकरण [(2002) 4

एससीसी 666: ए. आई. आर 2002 एस. सी. 2036], भूमि अधिग्रहण अधिकारी वी. महबूब [(2009) 14 एससीसी 54: (2009) 5 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 297], महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड v. माथियास ओराम

एससीसी 269: (2010) 4 एससीसी (सी. आई. वी.) 450: जे. टी. (2010) 7 एस. सी. 352] और बृज मोहन बनाम। हुडा [(2011) 2 एससीसी 29: (2011) 1 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 336]। किसान का मौलिक अधिकार खेती आजीविका के अधिकार का एक हिस्सा है। " कृषि

भूमि सुरक्षा की भावना और भय से मुक्ति की नींव है। आश्वस्त अधिकार शांति और समृद्धि के लिए एक स्थायी स्रोत है। भारत मुख्य रूप से एक कृषि समाज होने के नाते, भूमि और कृषि के बीच एक मजबूत संबंध है।

सामाजिक व्यवस्था में व्यक्ति की स्थिति "।

3. हालांकि, भूमि अधिग्रहण के मामले में, "

अनुच्छेद 21 के तहत आजीविका के अधिकार से वंचित करना है -

टिकाऊ "। (चमेलि सिंह बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य [(1996) एस. सी. सी. 549: ए. आई. आर. 1996 एस. सी. 1051] और समता बनाम। की स्थिति

संस्थागत अधिकार लेकिन एक मानव अधिकार भी। (वीडियो लछमन एस वी। जगत राम [(2007) 10 एस. सी. सी. 448] और अमरजीत संघ बनाम। पंजाब राज्य [(2010) 10 एससीसी 43: (2010) 4 एस. सी. सी. सी. आर. आई) 29]। हालाँकि, जिलुभाई नानभाई खाचर बनाम। राज्य गुजरात [1995 पूरक (1) एस. सी. सी. 596: ए. आई. आर. 1995 एस. सी. 142] यहहमारा आयोजनः (एससीसी पीपी। 620 & 632 , पैरा 30 और 58)

" 30. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अनुच्छेद 300-ए के तहत संपत्ति का अधिकार संविधान की मूल विशेषता या संरचना नहीं है।

यह केवल एक संवैधानिक अधिकार है।

*** [आंडाडी कोल फील्ड्स लिमिटेड। & एएनआर। वी. मैथियस ओरम और ओआरएस। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

58. ..... प्रक्रिया की अनुचितता का सिद्धांत

अनुच्छेद 21 को आकर्षित करना अधिग्रहण पर लागू नहीं होता है या अनुच्छेद 300 के तहत संपत्ति से वंचित करना-ए प्रभाव देने वाला

निर्देशक सिद्धांतों के लिए "।

29. नर्मदा बचाओ आंदोलन में यह न्यायालय (1) [(2000) 10 एस. सी. सी. 664] निम्नलिखित रूप में आयोजित किया गयाः (एससीसी पीपी। 702-03 , पैरा 62)

" 62. आदिवासियों और अन्य लोगों का विस्थापन

व्यक्ति स्वयं उनके उल्लंघन का परिणाम नहीं होंगे

मौलिक या अन्य अधिकार। प्रभाव यह देखने के लिए है कि

नए स्थानों पर उनका पुनर्वास उनकी तुलना में बेहतर है

वे क्या थे। पुनर्वास स्थलों पर उनके पास होगा

वे जिन सुविधाओं का आनंद लेते थे, उनकी तुलना में अधिक और बेहतर सुविधाएं आदिवासी बस्तियाँ। मुख्यधारा में क्रमिक एकीकरण

समाज की बेहतरी और प्रगति होगी। (जोर दिया गया)

30. केरल राज्य में बनाम। पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज

[(2009) 8 एस. सी. सी. 46], इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः (एस. सी. सी पी. 95 ,

पैरा 102-03)

" 102. अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। क्या ऐसा होगा?

आदिवासियों के पुनर्वास के अधिकार को अपने अधिकार में लाएं

उनके अपने निवास स्थान का सवाल है?

103. यदि उत्तर को सकारात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाना है, तो

बिना किसी कारण के एक इंच जमीन भी

अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को कभी भी प्राप्त किया जा सकता है।

इसके अलावा, एक अधिकार के बीच अंतर होना चाहिए।

पुनर्वसन की आवश्यकता प्रदान की जानी चाहिए जब की भूमि

राज्य पर ऐसा करने के लिए लगाया गया निषेध सब कुछ "।

(जोर दिया गया)

31. इस प्रकार, उपरोक्त निर्दिष्ट निर्णयों से यह स्पष्ट है कि

भूमि अधिग्रहण किसी भी संवैधानिक/प्रावधान का उल्लंघन नहीं करता है।

विस्थापित व्यक्तियों का मौलिक अधिकार। हालांकि, वे

नीति के अनुसार पुनर्वास और पुनर्वास के हकदार हैं

संबंधित परियोजना के विस्थापितों के लिए तैयार किया गया।

इस संदर्भ में, उपरोक्त प्रत्येक बिंदु का विश्लेषण निम्नलिखित खंडों में वर्णित।

2] 19 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

I. कट-ऑफ तिथि

13. कुछ भूमि मालिकों और उनका प्रतिनिधित्व करने वाले समूहों की ओर से पेश विद्वान वकील श्री प्रशांत भूषण ने तर्क दिया कि गोपालपुर के लिए आयोग की रिपोर्ट को इस अदालत ने स्वीकार कर लिया था, जिसके तहत प्रभावी

मुआवजे की गणना की तारीख को सर्वेक्षण की सूचना की तारीख माना गया था। यह प्रस्तुत किया गया था कि यह देखते हुए कि मुआवजे और पुनर्वास निर्धारण को अनुचित रूप से बढ़ाया गया था, इस अदालत को स्पष्ट करना चाहिए कि संबंधित गांव के सर्वेक्षण की तारीख गोपालपुर गांव के मामले में सर्वेक्षण की तारीख के बजाय प्रभावी तारीख होनी चाहिए, जो सितंबर 2010 में थी। यह तर्क दिया गया था कि इसे अपनाना सिद्धांत रूप में सुसंगत होगा, क्योंकि किसी भी अन्य बात का मतलब यह होगा कि आयोग और यह न्यायालय अलग-अलग मानकों को लागू करेंगे।

14. एम. सी. एल. की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री आत्माराम नाडकर्णी ने आग्रह किया कि गोपालपुर दृष्टिकोण को सार्वभौमिक रूप से अपनाया गया था।

आयोग द्वारा एक को सही किया गया, जिसके आधार पर अन्य गाँवों के लिए रिपोर्ट तैयार की गई और परिणामस्वरूप मुआवजे की राशि निर्धारित की गई। नतीजतन, भूमि मालिकों को भी लाभ हुआ, क्योंकि

सितंबर 2010 की तारीख एक समान थी, जिसके आधार पर मुआवजा और अन्य सभी राशियां निर्धारित की जा सकती थीं। यह आगे था

प्रस्तुत किया कि जहां तक विलंब या पूर्वाग्रह का सवाल है, शिकायत का कोई कारण नहीं हो सकता है, क्योंकि विलंबित भुगतान के लिए ब्याज के पुरस्कार के माध्यम से कानून में पर्याप्त सुरक्षा थी। यह प्रस्तुत किया गया था कि यदि इस न्यायालय को इस मुद्दे पर फिर से विचार करना है, तो जिन मामलों को अंतिम रूप दिया गया था, उन्हें सुलझा लिया जाएगा और प्रक्रिया शुरू की जाएगी

क्षतिपूर्ति निर्धारण को अनिश्चितता में डाल दिया गया, जिससे भूमि मालिकों सहित किसी को भी लाभ नहीं होगा।

15. परिछा आयोग ने गाँव गोपालपुर से संबंधित अपनी रिपोर्ट में इन कारणों को समझाया कि किस तारीख को निर्धारित किया गया था।

मुआवजे और लाभों की गणना सितंबर 2010 से की जानी चाहिएः

" 15. सुंदरगढ़ जैसे आदिवासी क्षेत्र में अधिकांश लोग अपने निर्वाह के लिए कृषि पर निर्भर हैं और आम तौर पर उनका कोई अन्य व्यवसाय नहीं है। एक बार अपनी जमीन से उखाड़े गए ऐसे लोगों के पास न तो निकालने के लिए कोई बचत है और न ही वापस पाने के लिए कुछ है। ऐसे व्यक्तियों को, यदि ठीक से पुनर्वास और उचित रूप से मुआवजा नहीं दिया जाता है, तो उन्हें सामना भी करना पड़ सकता है। भुखमरी। आपत्ति सुनवाई की प्रक्रिया के दौरान, हमने पाया कि अधिग्रहण अधिसूचना के कारण भूमि पर

अपने कानूनी अधिकारों से वंचित होने के कारण, कुछ किरायेदार महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड की व्यवस्था नहीं कर सके।

& एएनआर। वी. मैथियस ओरम और ओआरएस। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

बीमार परिवार के सदस्यों के इलाज के लिए धन, जो गंभीर बीमारी से पीड़ित थे, जिसके परिणामस्वरूप ऐसे कुछ रोगियों की उचित उपचार के बिना मृत्यु हो गई। कुछ जमीन।

धारकों ने शिकायत की कि उनके बच्चों की शादी और

शिक्षा रुकी हुई थी क्योंकि उन्हें कोई कानूनी अधिकार नहीं था

उनकी भूमि से निपटें। यदि मुआवजे का भुगतान 4 (1) अधिसूचना के प्रकाशन के एक या दो साल के भीतर किया गया होता, तो भूमि धारक अपने निर्वाह के लिए समान राशि की भूमि खरीद सकते थे।

उस समय भूमि का मूल्य वर्तमान दर से बहुत कम था। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि मुआवजे के भुगतान में देरी भूमि धारकों की गलती के कारण बिल्कुल नहीं थी, बल्कि पूरी तरह से भारत सरकार और लाभार्थी कंपनी, एम. सी. एल. की ओर से सुस्ती के कारण थी। इसलिए हम महसूस करते हैं कि भूमि धारकों को भूमि के लिए उचित मुआवजा नहीं दिया जा सकता है।

शीर्ष न्यायालय के निर्देश के अनुसार भूमि के सर्वेक्षण के लिए दावा आयोग द्वारा प्रकाशित नोटिस की तारीख तक कटौती की तारीख को लाया जाता है। हम, तदनुसार, कटौती की तारीख सितंबर, 2010 और गोपालपुर की भूमि के मुआवजे के मूल्यांकन के लिए सिफारिश करते हैं 2010-11 में प्रचलित बाजार दर के अनुसार।

16. मुआवजे की राशि निर्धारित करने और कटौती की तारीख तय करने के लिए गांव गोपालपुर के संबंध में अपनाया गया दृष्टिकोण

सितंबर 2010, इस अदालत के दिनांक 08.08.2012 के आदेश द्वारा सरदेगा, बालिंगा, बंकिनाहल, टिकलीपारा, गर्जनबहल और कुलदा जैसे अन्य गांवों के संबंध में लागू किया गया था, और 10.04.2013 पर, आयोग की रिपोर्ट का समर्थन और स्वीकार किया गया था। 15.07.2013 के एक अन्य आदेश द्वारा, अदालत ने गाँव कार्लिकाचर के लिए आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। इन तथ्यों को देखते हुए, इस अदालत की राय है कि एम. सी. एल. के तर्क में योग्यता है कि मुआवजे की राशि का निर्धारण एक एकल कट-ऑफ तिथि, यानी सितंबर 2010 को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि यह न्यायालय उन भूमि मालिकों की दुर्दशा के प्रति सचेत था, जिन्हें पहला निर्णय दिए जाने के 22 वर्षों से अधिक समय से कोई राशि का भुगतान नहीं किया गया था, जिसके कारण आयोग की स्थापना हुई और गोपालपुर मॉडल का विकास हुआ, जिसके बाद पहली बार सर्वेक्षण किया गया। सितंबर 2010, वह तारीख गणना योग्य होनी चाहिए। यदि कोई इस तथ्य को ध्यान में रखता है कि यदि मुआवजे का निर्धारण प्रारंभिक अधिसूचना जारी करने की तारीख पर आधारित होता, तो इसके परिणामस्वरूप स्पष्ट रूप से भूमि मालिकों के साथ अन्याय होता। इसके बजाय, तारीख को [2022] 19 एस. सी. आर. में स्थानांतरित कर दिया गया।

सितंबर 2010, और उस कट-ऑफ तिथि के आधार पर भूमि मालिकों को आगे का प्रतिफल, उनके लाभ के लिए है। तारीखों को फिर से स्थानांतरित करने से अनिश्चितता पैदा होगी, और भूमि मालिकों के लिए मुआवजे और अन्य लाभों की गणना में देरी की वास्तविक संभावना भी पैदा होगी।

अपने अधिकारों से वंचित थे। इन परिस्थितियों में, अदालत की राय है कि मुद्दे को फिर से खोलने से काफी अनिश्चितता पैदा होगी, क्योंकि सुलझे हुए मामलों की हमेशा फिर से जांच की जानी चाहिए और नए सिरे से गणना की जानी चाहिए। इन पूर्वगामी कारणों से, विभिन्न गांवों में मुआवजे की गणना के लिए आधार के रूप में सर्वेक्षणों को अधिसूचित किए जाने की तारीखों के आवेदन के संबंध में प्रस्तुत करने को अस्वीकार कर दिया जाता है।

17. सितंबर 2010 की गोपालपुर रिपोर्ट के आधार पर कट-ऑफ सभी 14 गाँवों के संबंध में एक से अधिक के लिए स्वीकृति के योग्य है।

कारण। पहला और सबसे महत्वपूर्ण, यह है कि सी. बी. ए. अधिनियम के तहत वर्तमान मामले में अधिग्रहण को 1988 में अधिसूचित किया गया था; अंतिम अधिसूचना या

घोषणा 1990 में की गई थी। आंतरिक विवाद के संबंध में भूमि मालिकों द्वारा सामना किए गए दुःस्वप्न ने अंततः उन्हें अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए प्रेरित किया। अंत में, इस अदालत ने हस्तक्षेप किया और मुआवजे के निर्धारण के लिए तंत्र को निर्देश दिया। इस विधि से, भूमि मालिकों के लिए अपरिवर्तनीय पूर्वाग्रह जो मूल तिथि (1988-1990) को आधार के रूप में माना जाता, उससे बचा गया। इसका शुद्ध परिणाम यह है कि गोपालपुर रिपोर्ट, जो सितंबर 2010 की कटौती पर आधारित है, ने मुआवजे की गणना की तारीख को 22 साल के लिए स्थगित करके भूमि मालिकों के पक्ष में न्यायसंगत रूप से हस्तक्षेप किया है। दूसरा, और उतना ही महत्वपूर्ण, अधिकांश क्षतिपूर्ति निर्धारण अभ्यास सितंबर 2010 और 2013 के अंत के बीच आयोजित किए गए थे। भूमि मालिक यह प्रदर्शित नहीं कर पाए हैं कि गोपालपुर कट-ऑफ को अपनाने से उन्हें किसी भी तरह से पूर्वाग्रह होगा। 2010 और 2013-14 के बीच बाजार मूल्य में महत्वपूर्ण परिवर्तन का खुलासा करने वाले किसी भी बिक्री विलेख या बाजार मूल्य या दस्तावेजों का खुलासा नहीं किया गया है। तीसरा, मुआवजे के निर्धारण के लिए सर्वेक्षण 2011 में हुआ या नहीं, इसकी परवाह किए बिना सभी भूमि मालिक,

2012 , यदि गोपालपुर कट-ऑफ तिथि स्वीकार की जाती है तो 2013 किसी भी मामले में वैधानिक दरों पर ब्याज का हकदार होगा। इसकी स्वीकृति पर भूमि मालिकों के पक्ष में संविधिक ब्याज अर्जित होगा।

रिपोर्ट, जो निर्धारित बाजार मूल्य के साथ-साथ सॉलेटियम के आधार पर निर्धारित मुआवजे से अधिक होगी। यह गोपालपुर कट-ऑफ तिथियों के आधार पर मुआवजे के निर्धारण के कारण होने वाले पूर्वाग्रह, यदि कोई हो, की भरपाई करेगा। राज्य नीति के संदर्भ में, एक पुनर्वास और पुनर्वास विकास सलाहकार समिति महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड।

& एएनआर। वी. मैथियस ओरम और ओआरएस। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

(इसके बाद, "आर. पी. डी. ए. सी".) का गठन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है और पुनर्वास उपायों को लागू करने का काम सौंपा जाता है। विस्थापित परिवारों के साथ परामर्श के बाद कलेक्टर द्वारा पुनर्वास और पुनर्वास योजना तैयार की जानी है। पुनर्वास स्थल का चयन आर. पी. डी. ए. सी. द्वारा ग्रामीणों की सहमति के आधार पर किया जाता है, जिसके बाद आवश्यक निकाय (वर्तमान मामले में, एम. सी. एल.) को एक सूचना भेजी जाती है। एम. सी. एल. के अनुसार, पुनर्वास के लिए इस स्थल को अंतिम रूप दे दिया गया है। कलेक्टर, के अनुसार इस अदालत के एक आदेश ने 03.11.2020 पर एक रिपोर्ट दायर की थी। रिपोर्ट में बड़ी संख्या में पुनर्वास और पुनर्वास गाँवों को शामिल किया गया है और यह भी सूचीबद्ध किया गया है कि 12 गाँवों के संबंध में कलेक्टर को 326 आपत्तियाँ प्राप्त हुई थीं। सत्यापन अभ्यास के बाद, कलेक्टर ने बताया है कि पुनर्वास और पुनर्वास के संबंध में सूची को सरकार द्वारा अनुमोदन की आवश्यकता है और कलेक्टर को एक रिपोर्ट तैयार करनी थी।

विस्थापित परिवारों के साथ परामर्श। आर. पी. डी. ए. सी. को स्थल का चयन करना था, ग्राम सभाएँ आयोजित करनी थीं, व्यक्तियों को विस्थापन प्रमाण पत्र जारी करना था, जिसके अलावा उन्हें न्यूनतम ₹ 2,40,000/- की भवन सहायता प्रदान की जानी थी।

18. नतीजतन, आयोग द्वारा गोपालपुर रिपोर्ट में निर्धारित तिथि (यानी सितंबर, 2010) मुआवजे के निर्धारण का आधार होगी। मुआवजे के अलावा, दावेदार भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के अनुसार वैधानिक लाभों (मुआवजे, अतिरिक्त मुआवजे, ब्याज आदि) के भी हकदार होंगे।

II. बिंदु संख्या 2: आर एंड आर अधिनियम, 2013 की प्रयोज्यता

19. भूमि मालिकों ने तर्क दिया कि आर एंड आर अधिनियम 2013 के लागू होने के बाद से, मुआवजे के साथ-साथ अन्य लाभों के निर्धारण के लिए उपयुक्त कानून उस अधिनियम के प्रावधान होंगे, न कि निरस्त भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 या सी. बी. ए. अधिनियम। यह आग्रह किया गया कि चूंकि उन सभी मामलों में, जहां विस्थापितों को उनसे भूमि का कब्जा लेने की तारीख को मुआवजा वितरित नहीं किया गया था, आर एंड आर अधिनियम 2013 के प्रावधानों को आकर्षित किया जाएगा।

20. यह आग्रह किया गया कि आयोग ने ग्राम किरिप्सिरा, जुपुरुंगा, रतनसारा और तुमुलिया से संबंधित अपनी रिपोर्टों में आर एंड आर अधिनियम, 2013 के लागू होने के दावे को गलत तरीके से खारिज कर दिया। इस संबंध में यह तर्क दिया गया था कि इस पहलू पर आयोग की रिपोर्ट नहीं हो सकती है

समर्थन किया गया, और चूंकि मुआवजे के निर्धारण को अंतिम रूप नहीं दिया गया था, लागू कानून लागू होगा जब अंतिम निर्णय लिया जाता है।

2] 19 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

21. एमसीएल की ओर से यह प्रस्तुत किया गया कि आयोग ने आर एंड आर अधिनियम, 2013 के तहत मुआवजा देने से इनकार कर दिया क्योंकि इस अदालत ने अपने दिनांकित आदेश के माध्यम से स्थिति का स्पष्ट रूप से निपटारा किया था

25.10.2013 . इस अदालत के आदेश में स्पष्ट किया गया था कि पुनर्वास आदि के लिए बुनियादी ढांचे के संबंध में केवल आर एंड आर अधिनियम 2013 की तीसरी अनुसूची लागू होगी। जहां तक मुआवजे के फैसले का सवाल है, इस अदालत ने गोपालपुर रिपोर्ट को मंजूरी देते समय आयोग के दृष्टिकोण की पुष्टि की थी और यह अधिग्रहण के तहत सभी गांवों को नियंत्रित करेगा। यदि किसी भी गाँव में मुआवजे के पुरस्कार के संबंध में कोई विचलन किया जाता है, तो यह एक 'पेंडोरा बॉक्स' खोलेगा और गोपालपुर मॉडल के बाद तय किए गए सभी दावे खुल जाएंगे, जिसके परिणामस्वरूप कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया होगी।

यह आगे प्रस्तुत किया गया कि एम. सी. एल. ने 2,000 करोड़ रुपये से अधिक की भारी राशि का भुगतान करने के बावजूद, अभी तक अधिकांश भूमि का भौतिक खाली कब्जा प्राप्त नहीं किया है, जिसके लिए मुआवजा पहले ही वितरित किया जा चुका है, और पुनर्वास और पुनर्वास लाभ दिए गए हैं। 22. आयोग ने आर एंड आर अधिनियम 2013 के तहत मुआवजे के भुगतान के दावे पर विचार किया था और इसे अस्वीकार कर दिया था।

" 8.9 कई भूमि निर्वासितों ने एक प्रार्थना के साथ दावा मामले दायर किए

उन्हें न्याय के अधिकार के तहत मुआवजा प्रदान करें

भूमि अधिग्रहण में क्षतिपूर्ति और पारदर्शिता

पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम, 2013। इस आयोग ने दावा मामले No.27 में पारित 19.6.2015 दिनांकित आदेश के माध्यम से और दावा मामले संख्या 130 में पारित 30.10.2018 दिनांकित आदेश के माध्यम से और दावा मामले No.10/1 और 27 अन्य में पारित 08.12.2018 दिनांकित आदेश के माध्यम से, उन मामलों में उपस्थित वकील और याचिकाकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से सुनने के बाद, उन मामलों को खारिज कर दिया। इसी तरह के मुद्दे से जुड़े अन्य सभी मामलों को भी खारिज कर दिया गया।

उपरोक्त मामलों की शर्तें। 23. आर एंड आर अधिनियम 2013 की धारा 105 इस प्रकार है:

105. इस अधिनियम के प्रावधान कुछ मामलों में लागू नहीं होंगे या कुछ संशोधनों के साथ लागू नहीं होंगे। - (1) उप-धारा (3) के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के प्रावधान चौथी अनुसूची में निर्दिष्ट भूमि अधिग्रहण से संबंधित अधिनियमों पर लागू नहीं होंगे।

(2) धारा 106 की उप-धारा (2) के अधीन रहते हुए, केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा इनमें से किसी को भी हटा या जोड़ सकती है।

चौथी अनुसूची में निर्दिष्ट अधिनियम।

हनाडी कोल फील्ड्स लिमिटेड। & एएनआर। वी. मैथियस ओरम और ओआरएस। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

(3) केंद्र सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से एक वर्ष के भीतर, यह निर्देश देगी कि इस अधिनियम के निर्धारण से संबंधित कोई भी प्रावधान

पहली अनुसूची के अनुसार मुआवजे का और

दूसरे में निर्दिष्ट पुनर्वास और पुनर्वास और

तीसरी अनुसूची, जो प्रभावित परिवारों के लिए फायदेमंद है, अधिनियमों के तहत भूमि अधिग्रहण के मामलों पर लागू होगी।

चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट या इस तरह के साथ लागू होगा

अपवाद या संशोधन जो कम नहीं करते हैं

क्षतिपूर्ति या पुनर्वास और पुनर्वास जो भी हो सकता है अधिसूचना में निर्दिष्ट, जैसा भी मामला हो।

(4) इसके तहत जारी की जाने वाली प्रत्येक प्रस्तावित अधिसूचना की एक प्रति

उप-धारा (3), संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष मसौदे में रखी जाएगी, जब तक कि यह सत्र में है, कुल तीस की अवधि के लिए।

दिन जो एक सत्र में या दो या दो में शामिल हो सकते हैं अधिक क्रमिक सत्र, और यदि, समाप्ति से पहले

सत्र या उसके तुरंत बाद का सत्र उपर्युक्त सत्रों में, दोनों सदन अस्वीकार करने पर सहमत हुए

अधिसूचना जारी करना या दोनों सदन कोई भी बनाने के लिए सहमत हैं

जारी किया गया या, जैसा भी मामला हो, केवल ऐसे संशोधित रूप में जारी किया जाएगा जिस पर दोनों सदनों की सहमति हो। संसद।

उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची की प्रविष्टि 11 निम्नानुसार हैः

" 11. कोयला उत्पादन क्षेत्र अधिग्रहण और विकास

अधिनियम, 1957 (1957 का 20) "

24. चौथी अनुसूची के साथ पठित धारा 105 के आधार पर, आर एंड आर अधिनियम 2013, सी. बी. ए. ए. अधिनियम द्वारा किए गए अधिग्रहणों पर लागू नहीं था। हालाँकि, धारा 105 (2) द्वारा, केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना जारी कीः

“ निर्देश दें कि इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान से संबंधित

प्रथम के अनुसार मुआवजे का निर्धारण दूसरी और तीसरी अनुसूची में निर्दिष्ट अनुसूची और पुनर्वास और पुनर्वास, जो प्रभावित लोगों के लिए फायदेमंद है

परिवार, भूमि अधिग्रहण के मामलों पर लागू होंगे

चौथी अनुसूची में निर्दिष्ट अधिनियम या लागू होंगे [2022] 19 एस. सी. आर.

इस अधिनियम के प्रावधानों से संबंधित क्षतिपूर्ति या कमजोर करना क्षतिपूर्ति या पुनर्वास और पुनर्वास जो भी हो सकता है

अधिसूचना में निर्दिष्ट, जैसा भी मामला हो "।

25. कोयला मंत्रालय, केंद्र सरकार ने एक स्पष्टीकरण जारी किया

04.08.2017 पहली, दूसरी और तीसरी अनुसूचियों की प्रयोज्यता पर

ई आर एंड आर अधिनियम, 2013 सी. बी. ए. के तहत भूमि अधिग्रहण के मामलों में स्पष्टीकरण में कहा गया हैः

" 1 ..... जिसके परिणामस्वरूप अधिकार की घोषणा की गई

भूमि अधिग्रहण में उचित क्षतिपूर्ति और पारदर्शिता,

पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम 2013 (इसके बाद)

' आर. एफ. सी. टी. एल. ए. आर. आर. अधिनियम ') और आदेश एस. ओ. संख्या 2368 (ई)। अधिसूचित किया गया

लिमिटेड और उसकी सहायक कंपनियों ने स्पष्टीकरण मांगा है। पूर्व अधिग्रहित भूमि के लिए मुआवजे के भुगतान के संबंध में

कोयला वहन क्षेत्रों (अधिग्रहण और अधिग्रहण) के अंतर्गत 01.09.2015 तक

विकास अधिनियम। 1957 (इसके बाद 'सी. बी. ए. अधिनियम')

2. चूंकि भूमि अधिग्रहण में कई चरण शामिल हैं

क्षतिपूर्ति के निर्धारण की प्रक्रिया सहित, यह

मंत्रालय ने कानून और न्याय मंत्रालय से सलाह मांगी। विधि और न्याय मंत्रालय ने अपनी सलाह दी है कि यदि

क्षतिपूर्ति का निर्धारण 01.09.2015 से पहले नहीं किया गया है। सी. बी. ए. अधिनियम की धारा 13 (5) के तहत, फिर

पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची और तीसरी अनुसूची आर. एफ. सी. टी. एल. ए. आर. आर. अधिनियम लागू होगा। शेष मामलों में जहाँ

धारा के तहत मुआवजा पहले ही निर्धारित किया जा चुका है।

13 (5) 01.09.2015 से पहले सी. बी. ए. अधिनियम के, तो ऐसे मामले होंगे

इसे फिर से नहीं खोला जाएगा।

4. उपरोक्त स्पष्टीकरणों को ध्यान में रखते हुए, पिछला आदेश पत्र

नहीं। 430200 / 26 / 88 - LSWdated 12.05.1989 द्वारा जारी किया गया।

ऊर्जा मंत्रालय, कोयला विभाग में संशोधन किया जाएगा।

के निर्धारण में उपरोक्त स्पष्टीकरणों का पालन किया जा सकता है -

सी. बी. ए. अधिनियम के तहत अधिग्रहित भूमि के लिए मुआवजा।

यह सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी से जारी किया जाता है।

एस/डी

आर एस

सरोज

सरकार के अवर सचिव। भारत का "।

महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड। & एएनआर। वी. मैथियस ओरम और ओआरएस। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

26. उपरोक्त प्रासंगिक तथ्यों से पता चलता है कि धारा 105 ने अपनी चौथी अनुसूची जैसे सी. बी. ए. अधिनियम में निर्दिष्ट अधिनियमों के तहत किए गए अधिग्रहणों और प्रतिष्ठित क्षेत्र का उपयोग करने के लिए आर. एंड आर. अधिनियम, 2013 के अनुप्रयोग को बाहर रखा है। इस अधिनियम के तहत, अधिग्रहण जो वर्तमान कार्यवाही का विषय है, को एम. सी. एल. के पक्ष में अधिसूचित किया गया था।

27. जब आर एंड आर अधिनियम, 2013 को 01.01.2014 से लागू किया गया था, तो एमसीएल के पक्ष में अधिग्रहण जारी रहा।

सी. बी. ए. अधिनियम आर एंड आर अधिनियम, 2013 की धारा 105 (3) के अनुसार, केंद्र सरकार उस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से एक वर्ष के भीतर अधिसूचना जारी करने के लिए बाध्य थी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मुआवजे के निर्धारण से संबंधित इसके प्रावधान, पहली अनुसूची के प्रावधान और उस अधिनियम की दूसरी और तीसरी अनुसूची के अनुसार पुनर्वास और पुनर्वास। यह इस जनादेश के अनुसार था कि केंद्र सरकार ने धारा 105 (3) के संदर्भ में एक अधिसूचना जारी की। हालाँकि, केंद्र सरकार ने धारा 103 के तहत कठिनाइयों को दूर करने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करने का फैसला किया। ऐसा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि अधिसूचना 28.08.2015 पर जारी की गई थी-धारा 105 (3) में निर्धारित अवधि से परे। फिर भी, के लाभकारी प्रावधान करने के लिए वैधानिक निषेधाज्ञा की भावना

आर एंड आर अधिनियम, 2013 क्षतिपूर्ति निर्धारण पर लागू होता है और पुनर्वास या पुनर्वास उपायों का प्रभाव और सार में अनुपालन किया गया था।

28. एम. सी. एल. ने इस अदालत के दिनांक 1 के आदेश पर भरोसा किया और आग्रह किया कि भूमि मालिकों द्वारा केवल तीसरी अनुसूची का लाभ उठाया जा सकता है। वे प्रावधान सुविधाएं प्रदान करने के दायित्व से संबंधित हैं। साथ ही, इस अदालत को इस तथ्य के प्रति सचेत रहना होगा कि जब वह आदेश दिया गया था, तो आर एंड आर अधिनियम, 2013, जैसा कि हम आज जानते हैं, कानून भी नहीं था-इसे एक विधेयक के माध्यम से संसद में पेश करने की मांग की गई थी। 25.10.2013 का क्रम केवल स्पष्ट रूप से विधेयक का उल्लेख करता है। दूसरे शब्दों में, अदालत उस क्रम का अनुमान नहीं लगा सकी जिसमें आर एंड आर अधिनियम, 2013 के प्रावधान लागू होंगे। इस न्यायालय के आदेश ने कहीं भी यह संकेत नहीं दिया कि क्या आर एंड आर अधिनियम-जिसे अधिनियमित किया जाना था, और जो बाद में लागू हुआ-सभी भूमि अधिग्रहण कार्यवाही पर लागू था, जिसमें विभिन्न स्तरों पर और विभिन्न अदालतों के समक्ष विचाराधीन विचार भी शामिल थे, और क्या नए अधिनियम के निकाय ने पूर्ववर्ती भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894, [2022] 19 एस. सी. आर. के अलावा अन्य अधिनियमों के तहत किए गए अधिग्रहणों को अपने दायरे से बाहर रखने की मांग की थी।

जैसा कि आर एंड आर अधिनियम, 2013 ने अंततः धारा 105 और चौथी अनुसूची के माध्यम से किया। 29. इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि 01.01.2014 और 28.08.2015 के बीच की अवधि के लिए, इसके तहत चल रही अधिग्रहण प्रक्रियाएँ

चौथी अनुसूची में निर्दिष्ट अधिनियम-जैसे सी. बी. ए. अधिनियम आर. एंड आर. अधिनियम, 2013 के दायरे से बाहर थे। हालाँकि, धारा 113 के तहत अधिसूचना के प्रकाशन के साथ धारा के साथ पढ़ा जाता है

105 (3) 28.08.2015 पर, कानूनी स्थिति में परिवर्तन हुआ। अधिग्रहण प्रक्रियाएँ, विशेष रूप से क्षतिपूर्ति निर्धारण भी

क्योंकि पुनर्वास अधिकारों और पुनर्वास उपायों की गणना और संवितरण अधिनियम की पहली, दूसरी और तीसरी अनुसूचियों के संदर्भ में होना था।

30. यह पहले के प्रावधानों से तुरंत ध्यान देने योग्य है

इंदिरा आवास योजना विनिर्देश। इसके अलावा, रोजगार के रूप में पुनर्वास लाभ, या इसके बदले में, 75 लाख का एकमुश्त भुगतान और वार्षिकी पॉलिसियां जो 20 वर्षों के लिए प्रति परिवार प्रति माह 2000/- से कम नहीं देने वाली थीं, साथ ही विस्थापित परिवारों के लिए एक वर्ष के लिए निर्वाह अनुदान और अन्य के साथ 50,000/- रुपये का एकमुश्त पुनर्वास भत्ता सुनिश्चित किया जाता है। आर एंड आर अधिनियम, 2013 की तीसरी अनुसूची बड़े पैमाने पर अधिग्रहण की कार्यवाही में विस्थापित परिवारों और लोगों के मामले में राज्य को बुनियादी सुविधाओं की रूपरेखा तैयार करनी होगी।

महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड। & एएनआर। वी. मैथियस ओरम और ओआरएस। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

निस्संदेह क्षतिपूर्ति निर्धारित करने का गोपालपुर मॉडल उन गाँवों के संबंध में लागू किया गया था जिनके लिए रिपोर्ट तैयार की गई थी और अदालतों द्वारा अनुमोदित किया गया था (गोपालपुर, सरदेगा, बालिंगा, बांकीबहल, टिकिलीपारा, गर्जनबहल, कुलदा, कार्लीकाचर, सियारमल और बांगुरकेला)। हालांकि, चार गाँवों यानी तुमुलिया, झुपुरंगा, रतनसारा और किर्पसरा के संबंध में अभी तक किसी भी पुरस्कार को मंजूरी नहीं दी गई है। तुमुलिया गाँव के लिए रिपोर्ट 04.04.2020 पर तैयार की गई थी और उसके बाद अदालत में दायर की गई थी, जिसकी मंजूरी का इंतजार था। गाँव झुपुरंगा के संबंध में रिपोर्ट रिकॉर्ड पर रखी गई है; वही इस अदालत की मंजूरी के लिए लंबित है। 33. इस अदालत की राय है कि 28.10.2015 पर अधिसूचना जारी करने और केंद्र सरकार द्वारा 04.08.2017 पर एमसीएल को स्पष्टीकरण देने के साथ, मुआवजे का भुगतान या जमा करने का सवाल है।

सी. बी. ए. अधिनियम के संदर्भ में 28.10.2015 के बाद उत्पन्न नहीं हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सी. बी. ए. अधिनियम के तहत क्षतिपूर्ति निर्धारण की आवश्यकता समाप्त हो गई है।

धारा 105 (3) के आधार पर। सी. बी. ए. अधिनियम के तहत वैधानिक व्यवस्था को हटा दिया गया और पहली अनुसूची के प्रावधानों के साथ प्रतिस्थापित किया गया। आर एंड आर अधिनियम, 2013।

34. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, यह माना जाता है कि आर एंड आर अधिनियम, 2013 की पहली अनुसूची अधिग्रहण पर लागू होती है। एम. सी. एल. के पक्ष में केंद्र सरकार द्वारा गाँवों के संबंध में किया गया प्रश्न, जिनकी रिपोर्ट पहले अनुमोदित नहीं की गई थी

28.10.2015 . तदनुसार, चार गाँवों यानी तुमुलिया, झुपुरंगा, रतनसारा और किर्पसरा के लिए बाजार मूल्य के आधार पर मुआवजे का निर्धारण आर एंड आर अधिनियम, 2013 की पहली अनुसूची के प्रावधानों के अनुसार किया जाना है। चूंकि भूमि की सीमा, भूमि मालिकों की पहचान, और मूल बाजार मूल्य के साथ-साथ ऋण और ब्याज भुगतान का निर्धारण किया गया है, इसलिए आयोग को केवल एक अतिरिक्त अभ्यास करना है जिसे करना है -

सभी तत्वों के संबंध में पुनर्निर्धारण के बाद देय अंतर अर्थात बाजार मूल्य, ऋण राशि और आगे का ब्याज। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जिन गाँवों के संबंध में इस न्यायालय ने आयोग की पहले से ही अनुमोदित रिपोर्ट, और अधिकार हैं

निर्धारित किया गया है, यहां तक कि इसका लाभ उठाया गया है, या लंबित कार्यान्वयन, यानी अन्य दस गाँव, मुद्दों को अंतिम रूप दिया जाएगा-वर्तमान निर्णय के आधार पर कोई पुनर्निर्धारण नहीं किया जा सकता है।

2] 19 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

III.

बिन्दु संख्या। 3 (क्या उड़ीसा पुनर्वास नीति

2006 की या 2013 की बाद की नीति लागू होती है), 4 (2013 की नीति के तहत रोजगार लाभ के उद्देश्य से, परिवार इकाई को एक या कई माना जाता है) और 5 (क्या आयोग राज्य की नीतियों में बदलाव के आधार पर फिर से निर्णय ले सकता है।

इस अदालत द्वारा इसकी रिपोर्ट स्वीकार किए जाने के बाद)

35. भूमि मालिकों के विद्वान वकील ने आग्रह किया था कि आर एंड आर अधिनियम, 2013 की धारा 108 के आधार पर प्रभावित व्यक्तियों या परिवारों के पास राज्य के कानून या नीति या अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में पुनर्वास और पुनर्वास का लाभ उठाने का विकल्प या विकल्प है। यह प्रस्तुत किया गया था कि इस तरह के पैकेज को तय करने के उद्देश्यों के लिए और

पुनर्वास लाभ, कट-ऑफ तिथि वह तिथि होनी चाहिए जिस दिन संबंधित गांव के संबंध में पहली बार सर्वेक्षण किया गया था। इसलिए विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि आर एंड आर नीति 2006 तक खुद को सीमित रखने और 2013 के संशोधन के माध्यम से बाद के लाभकारी प्रावधानों को अस्वीकार करने में आयोग का दृष्टिकोण असमर्थनीय है।

36. एमसीएल की ओर से यह तर्क दिया गया कि आयोग

आर एंड आर नीति 2006 में पुनर्वास और पुनर्वास लाभों की गणना करने में कमी सही है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि भूमि मालिकों की ओर से तर्क यह मानते हैं कि वर्तमान मामले में अधिग्रहण किया गया था

आर एंड आर अधिनियम, 2013 के तहत बनाया गया। वास्तव में, पुराना भूमि अधिग्रहण अधिनियम लागू नहीं था; जो लागू हुआ वह सी. बी. ए. अधिनियम था। इसलिए, जो नीति भूमि मालिकों के पक्ष में थी, उसे आर एंड आर नीति 2006 में शामिल किया गया था। यह तब भी लागू था जब इस अदालत का फैसला सुनाया गया था जिसके अनुसार गोपालपुर रिपोर्ट को मंजूरी दी गई थी। इसके अलावा, बाद की रिपोर्टें भी 2006 की नीति के अनुसार चली गई हैं। इन परिस्थितियों में, यह कहने का कोई सवाल ही नहीं है कि 2013 की नीति लागू होगी, जिसमें पिछले मामलों को फिर से खोलने के परिणामस्वरूप अराजकता और अनिश्चितता पैदा होगी। यह पुनर्वास निर्धारित करने की प्रक्रिया को लंबा करेगा और

पुनर्वास लाभ और यह भी सुनिश्चित करना कि वे लाभार्थियों द्वारा प्राप्त किए जाएं। इसके अलावा, 2013 के संशोधन को अपनाने से एक अधिग्रहण के उद्देश्य के लिए मानदंडों के दो सेट लागू होंगे।

37. आर एंड आर अधिनियम, 2013 की धारा 108 इस प्रकार हैः " 108. प्रभावित परिवारों के लिए बेहतर मुआवजे और पुनर्वास और पुनर्वास का विकल्प। - (1) जहाँ किसी राज्य के कानून या किसी राज्य की सरकार द्वारा बनाई गई नीति में

महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड के लिए इस अधिनियम की गणना की गई राशि से अधिक मुआवजा।

& एएनआर। वी. मैथियस ओरम और ओआरएस। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

भूमि, प्रभावित व्यक्तियों या उनके परिवार का अधिग्रहण या

उसके परिवार का सदस्य अपने विकल्प पर ऐसे राज्य कानून या राज्य की ऐसी नीति के तहत इस तरह के उच्च मुआवजे और पुनर्वास और पुनर्वास का लाभ उठाने का विकल्प चुन सकता है।

(2) जहां कोई राज्य कानून या किसी राज्य की सरकार द्वारा बनाई गई नीति इस अधिनियम की तुलना में उस अधिनियम या नीति के तहत अधिक लाभकारी पुनर्वास और पुनर्वास प्रावधान प्रदान करती है, वहां प्रभावित व्यक्ति या उसका परिवार या उसके परिवार का सदस्य अपने विकल्प पर ऐसे पुनर्वास और पुनर्वास का लाभ उठाने का विकल्प चुन सकता है।
ऐसे राज्य कानून या राज्य की ऐसी नीति के तहत प्रावधान

इसके बजाय इस अधिनियम के तहत "।

38. आर एंड आर नीति 2006 के प्रासंगिक प्रावधानों पर ध्यान देना भी उचित है। खंड 2 (बी) द्वारा, "क्षतिपूर्ति" शब्द का अर्थ है पूर्ववर्ती भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की राशि। धारा 2 (सी) के अनुसार, मुआवजे के उद्देश्य के लिए कट-ऑफ तिथि वह तारीख है जिस पर संबंधित कानून के तहत भूमि अधिग्रहण करने के इरादे की घोषणा करने वाली अधिसूचना जारी की जाती है। या पुनर्वास नीति का प्रावधान प्रकाशित किया जाता है। खंड 2 (सी) के एक नोट में कहा गया है कि पुनर्वास और पुनर्वास लाभों के लिए पात्रता विस्थापित परिवारों की एक सूची के माध्यम से होगी, और सूची को उस वर्ष की पहली जनवरी को अद्यतन किया जाएगा जिसमें भौतिक विस्थापन होना है। "परिवार" शब्द, जो वर्तमान मामले में महत्वपूर्ण है, को 2006 की नीति द्वारा निम्नानुसार परिभाषित किया गया हैः

" (च) परिवार का अर्थ है व्यक्ति और उसका जीवनसाथी, नाबालिग।

बेटे, अविवाहित बेटियाँ, नाबालिग भाई या अविवाहित बहनें, पिता, माँ और उनके साथ रहने वाले अन्य सदस्य और उनकी आजीविका के लिए उन पर निर्भर हैं।

ध्यान देंः निम्नलिखित श्रेणियों में से प्रत्येक को एक माना जाएगा

पुनर्वास के उद्देश्य से अलग परिवार इस नीति के तहत लाभ।

((i) अपनी वैवाहिक स्थिति के बावजूद एक बड़ा बेटा।

अविवाहित बेटी/बहन की आयु 30 वर्ष से अधिक हो।

((ख)

(iii)

शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति चाहे जो भी हो

आयु और लिंग; (अधिकृत चिकित्सा बोर्ड द्वारा विधिवत प्रमाणित)। इस उद्देश्य के लिए, अंधे/बधिर/हड्डी रोग से विकलांग/मानसिक रूप से विकलांग

40 प्रतिशत से अधिक स्थायी विकलांगता से पीड़ित व्यक्ति को केवल अलग परिवार माना जाएगा।

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

((iv)

नाबालिग अनाथ, जिसने अपने माता-पिता दोनों को खो दिया हो।

(v) विधवा या तलाकशुदा महिला।

39. नीति के खंड 4 के अनुसार, विस्थापित व्यक्तियों का सर्वेक्षण और पहचान की जानी है। खंड 7 (ii) द्वारा, पुनर्वास कार्य के पूरा होने से पहले भौतिक विस्थापन नहीं हो सकता है; खंड 7 (v) द्वारा, पुनर्वास से संबंधित आदेशों को भूमि के अवकाश की तारीख से प्रभावी किया जाना है। खंड 8 पुनर्वास सहायता की रूपरेखा तैयार करता है। ई विस्थापन प्रकार बी (II) के कारण होता है, अर्थात खनन परियोजना के परिणामस्वरूप भूमि मालिकों का विस्थापन होता है, पुनर्वास के लाभ

बस्तियाँ इस प्रकार हैं:

" II. टाइप बी: खनन परियोजनाएं

विस्थापन। रोजगार के उद्देश्य से, प्रत्येक परिवार परिवार के एक सदस्य को नामित करेगा। परियोजना प्रस्तावक रोजगार के मामले में विस्थापित और अन्य प्रभावित परिवारों के नामित सदस्यों को प्राथमिकता देगा। वरीयता का क्रम इस प्रकार होगा

निम्नलिखित है:

(1) विस्थापित परिवारों ने घर सहित सभी भूमि खो दी

भूमि,

((ii) विस्थापित परिवारों ने दो तिहाई से अधिक कृषि खो दी है।

भूमि और आवासीय भूमि,

((iii) परिवार सभी कृषि भूमि खो रहे हैं लेकिन घर नहीं खो रहे हैं।

भूमि,

(iv) विस्थापित परिवारों ने एक तिहाई से अधिक कृषि खो दी है।

भूमि और आवासीय भूमि।

(v) विस्थापित परिवार केवल आवास भूमि खो रहे हैं लेकिन नहीं

कृषि भूमि,

(vi) आंशिक रूप से कृषि भूमि खोने वाले परिवार लेकिन घर नहीं खो रहे हैं।

भूमि।

परियोजना प्राधिकरण सुविधा प्रदान करने के लिए विशेष प्रयास करेगा

विस्थापितों के मनोनीत सदस्य का कौशल उन्नयन

परिवार उसे अपनी परियोजना में रोजगार के योग्य बनाए।

हनाडी कोल फील्ड्स लिमिटेड। & एएनआर। वी. मैथियस ओरम और ओआरएस। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

1. विस्थापित परिवारों के नामांकित व्यक्तियों के मामले में जो अन्यथा रोजगार के लिए पात्र हैं; ऊपरी आयु सीमा में पांच साल की छूट दी जाएगी।

2. परियोजना प्राधिकरणों को अपनी रोजगार क्षमता को पहले से ही पर्याप्त रूप से सूचित करना चाहिए।

3. जहां तक संभव हो, इसका उद्देश्य परियोजना में प्रत्येक विस्थापित/अन्य परिवार के एक सदस्य को रोजगार प्रदान करना होगा जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है। हालांकि, जहां लिखित रूप में कारण बताए जाने के कारण इसका प्रावधान नहीं किया जा सकता है, वहां नीचे उल्लिखित नकद मुआवजा होगा -

ऐसे परिवारों को प्रदान किया जाता है। जो परिवार उप-पैरा (ए) ऊपर और (बी) नीचे उल्लिखित रोजगार/स्व-रोजगार का विकल्प नहीं चुनते हैं, उन्हें परियोजना प्राधिकरण द्वारा प्रदान किया जाएगा।

नीचे बताए गए पैमाने पर रोजगार के बदले में एक बार की नकद सहायता के साथः

एस. आई. नहीं। उप-पैरा (ए) के अनुसार श्रेणी के तहत परिवार एक बार की राशि

नकद सहायता (में

ऊपर

लाख)

श्रेणी (i) के अंतर्गत आने वाले विस्थापित परिवार

((i)

5.00

श्रेणी (ii) के अंतर्गत आने वाले विस्थापित परिवार

3.00

श्रेणी (iii) के अंतर्गत आने वाले परिवार

2.00

((iv)

श्रेणी (iv), (v) और (vi) के अंतर्गत आने वाले परिवार

1.00

(ख) स्व-रोजगार परियोजना प्राधिकरण के लिए प्रशिक्षण

संबंधित कलेक्टर का मार्गदर्शन कम से कम एक व्यक्ति को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था करेगा।

प्रत्येक विस्थापित/अन्य परिवार का सदस्य ताकि उसे अपना छोटा उद्यम शुरू करने और अपने कौशल को परिष्कृत करने के लिए तैयार किया जा सके और नए नौकरी के अवसरों का लाभ उठाया जा सके। पारंपरिक व्यवसायों/हस्तशिल्प/हथकरघा में लगे लोगों के लिए, उनके मौजूदा कौशल को उन्नत करने के लिए परियोजना प्राधिकरण की कीमत पर उपयुक्त प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा।

(ग) परिवर्तनीय वरीयता अंशः विस्थापित परिवार के विकल्प पर परियोजना प्राधिकरण परिवर्तनीय जारी कर सकता है।

उपरोक्त उपपैरा (ए) में उल्लिखित एकमुश्त नकद सहायता में से अधिकतम 50 प्रतिशत तक वरीयता हिस्सेदारी।

(घ) आवासीय भूमि के लिए प्रावधानः उपलब्धता के अधीन, प्रत्येक विस्थापित परिवार को [2022] 19 एस. सी. आर. के एक एकड़ का कम से कम दसवां हिस्सा दिया जाएगा।

आवास के लिए पुनर्वास आवास में मुफ्त भूमि

उद्देश्य।

(ङ) स्व-स्थानांतरण के लिए सहायता। विस्थापित परिवार में से प्रत्येक

Rs.50,000/- घर की जमीन के बदले में। (1) गृह निर्माण सहायता - इसके अलावा, परियोजना प्राधिकरण पुनर्वास आवास में प्रत्येक विस्थापित परिवार के लिए घर का निर्माण करेगा या पुनर्वास में बसने वाले प्रत्येक विस्थापित परिवार को रुपये की आवास निर्माण सहायता प्रदान करेगा।

निवास स्थान या कहीं और स्व-स्थानांतरण का विकल्प चुनना।

(छ) दुकानें और सेवा इकाइयाँः परियोजना अधिकारी अपने खर्च पर संभव स्थानों पर दुकानें और सेवा इकाइयों का निर्माण भी करेंगे, जिन्हें स्वयं-रोजगार का विकल्प चुनने वाले विस्थापित परिवारों को परियोजना के लिए कलेक्टर के परामर्श से आवंटित किया जाएगा। ऐसी इकाइयों को आवंटित करते समय, भौतिक रूप से प्राथमिकता दी जाएगी

चुनौती दिए गए व्यक्ति और विस्थापित एससी और एसटी के सदस्य

परिवार "।

40. 05.08.2013 पर, उड़ीसा राज्य ने आधिकारिक राजपत्र में एक अधिसूचना शेड के माध्यम से, R & R y 2006 में संशोधन प्रकाशित किए। संशोधन अनिवार्य रूप से खंड में परिवर्तन से संबंधित था।

"परिवार" की परिभाषा के संबंध में। किए गए संशोधन

नीचे संक्षिप्त किया गया हैः

" सुधार

1. उड़ीसा पुनर्वास और पुनर्वास नीति, 2006 (इसके बाद उक्त नीति के रूप में संदर्भित) में, शब्द के लिए

2011 . 2. पैरा 2 के खंड (च) के तहत उपखंड (i) में, "एक बड़ा बेटा, उसकी वैवाहिक स्थिति के बावजूद" शब्दों के स्थान पर "एक बड़ा बेटा/पोता, उसकी वैवाहिक स्थिति के बावजूद" शब्द रखे जाएंगे।

3. पैरा 2 के खंड (च) के तहत उपखंड (ii) में, "30 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहित बेटी/बहन" शब्दों के लिए, महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड।

& एएनआर। वी. मैथियस ओरम और ओआरएस। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

शब्द "प्रमुख अविवाहित बेटी/प्रमुख अविवाहित

पोती/मेजर अविवाहित बहन को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

4. पैरा 2 (एफ) (आई) में संशोधन उक्त नीति के प्रावधान को स्पष्ट करने और दोहराने के लिए किया गया है। इसलिए, यह ले जाएगा

उक्त नीति की शुरुआत की तारीख से पूर्वव्यापी प्रभाव, यानी 15 मई, 2006।

5. पैरा 2 (च) (ii) में संशोधन उस तारीख से प्रभावी होगा।

इस सरकारी संकल्प को जारी करना।

41. आर एंड आर नीति 2006 और 2013 में संशोधित नीति के बीच का अंतर अनिवार्य रूप से "परिवार" की परिभाषा के संबंध में है। 2006 की नीति अन्य के संबंध में अपरिवर्तित रही है। पुनर्वास/पुनर्वास लाभ। लाभों को मोटे तौर पर निम्नलिखित शब्दों में रेखांकित किया जा सकता है:

((i)

रोजगार; रोजगार के बदले नकद-रोजगार से विस्थापित परिवार का कम से कम एक सदस्य या इसके बदले में,

खंड 3 के संदर्भ में नकदी:

((ख)

आवासीय भूमि के लिए प्रावधान (उपलब्धता के अधीन) अधिकार प्रत्येक विस्थापित परिवार को पुनर्वास आवास में एक एकड़ भूमि का कम से कम दसवां हिस्सा होना चाहिए। आवास भूमि के बदले कहीं और स्व-स्थान का विकल्प चुनने वालों के लिए ₹50,000/- का एकमुश्त नकद अनुदान।

(iii)

प्रत्येक व्यक्ति को ₹ 1,50,000 तक की आवास निर्माण सहायता विस्थापित परिवार, पुनर्वास आवास में बसना या चुनना

कहीं और स्थानांतरण के लिए। परियोजना प्राधिकरणों द्वारा बनाई जाने वाली दुकानें और सेवा इकाइयां जो कलेक्टर के परामर्श से विस्थापित परिवारों को आवंटित की जानी हैं।

स्व-रोजगार के लिए। ये शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों और विस्थापितों के सदस्यों की प्राथमिकता के अधीन थे।

एससी/एसटी परिवार।

42. आर एंड आर अधिनियम, 2013 की दूसरी अनुसूची के प्रावधानों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में घर खोने वाले सभी विस्थापित परिवार इंदिरा आवास योजना के विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित घर के हकदार हैं। इस लाभ का लाभ उन लोगों को भी मिल सकता है जिनके पास घर नहीं है लेकिन वे अधिग्रहण से पहले तीन साल से इस क्षेत्र में रह रहे थे। यदि किसी शहरी क्षेत्र में कोई परिवार प्रस्तावित घर को नहीं लेने का विकल्प चुनता है, तो वह घर निर्माण के लिए एक बार के मुआवजे का हकदार होगा जो [2022] 19 एस. सी. आर. नहीं होगा।

₹ 1,50,000/- से कम होना चाहिए। साथ ही, यदि ग्रामीण क्षेत्र में कोई प्रभावित परिवार ऐसा पसंद करता है, तो निर्मित घर के बदले घर की समतुल्य लागत की पेशकश की जा सकती है। दूसरा लाभ यह है कि यदि अधिग्रहण से लाभान्वित होने वाली परियोजना के माध्यम से नौकरियों का सृजन किया जाता है, तो संबंधित संस्था को आवश्यक क्षेत्र में उपयुक्त प्रशिक्षण और कौशल विकास प्रदान करना चाहिए और प्रभावित परिवार के कम से कम एक सदस्य को न्यूनतम मजदूरी से कम दर पर रोजगार का प्रावधान करना चाहिए।

किसी अन्य परियोजना में नौकरी की व्यवस्था करें। इस लाभ के बदले में, एक बार

प्रति परिवार ₹5 लाख का लाभ दिया जाना है या वार्षिकी पॉलिसियां जो 20 वर्षों के लिए प्रति परिवार ₹2,000/- प्रति माह से कम नहीं होंगी।

कृषि मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में उचित अनुक्रमणिका

करना पड़ता है। इसके अलावा, विस्थापित परिवारों के लिए 3000/- रुपये प्रति माह के तुलनीय एक वर्ष के लिए निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाना है। स्थानांतरण और एक बार के लिए अतिरिक्त परिवहन लागत 50, 000/- का पुनर्वास भत्ता देय है।

43. आर एंड आर अधिनियम, 2013 के प्रावधानों ने पहली बार पुराने भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 को प्रतिस्थापित किया है।

राज्य यह सुनिश्चित करे कि मुआवजे के अलावा पुनर्वास और पुनर्वास प्रदान किया जाए। ये पुनर्वास और पुनर्वास प्रावधान न केवल विस्थापित परिवार के कम से कम एक सदस्य के लिए रोजगार के अधिकार से संबंधित हैं, बल्कि अन्य मौद्रिक और ठोस लाभों से भी संबंधित हैं, जैसे कि घरों के निर्माण के लिए भूमि, निर्माण के लिए नकद सहायता; परिवहन लागत; अस्थायी विस्थापन के लिए प्रावधान; रोजगार लाभों के बदले में वार्षिकी और/या नकद भुगतान, आदि। इसके अलावा, तीसरी अनुसूची के प्रावधानों द्वारा, किस प्रकार के लिए विस्तृत प्रावधान किए गए हैं सार्वजनिक स्वास्थ्य लाभ, स्कूल, सामुदायिक केंद्र, सड़कें और अन्य बुनियादी आवश्यकताओं जैसी सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान की जानी हैं।

बाध्य। ये सभी विस्थापितों और राज्य पर व्यापक सामाजिक न्याय दायित्वों को आगे बढ़ाने के लिए हैं।

आर एंड आर अधिनियम के प्रावधान। यदि कोई धारा 108 के अंतर्निहित सिद्धांत के अनुसार चलता है, तो स्पष्ट रूप से आर एंड आर नीति 2006 के तहत बताए गए लाभ, बेहतर और अधिक विस्तृत हो।

महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड। & एएनआर। वी. मैथियस ओरम और ओआरएस। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

45. जैसा कि पहले देखा गया है, उड़ीसा के बीच का अंतर

पुनर्वास और पुनर्वास नीति, 2006 और 2013 में किया गया संशोधन "परिवार" की परिभाषा के संबंध में है। 2006 की नीति में अन्य बातों के साथ-साथ परिवार को "व्यक्ति और उसके जीवनसाथी, नाबालिग बेटे, अविवाहित बेटियां, नाबालिग भाई या अविवाहित बहनें, पिता, मां और उसके साथ रहने वाले अन्य सदस्य और अपनी आजीविका के लिए उस पर निर्भर" के रूप में परिभाषित किया गया है। खंड 2 (च) के नोट में कहा गया है कि, "निम्नलिखित श्रेणियों में से प्रत्येक को पुनर्वास लाभ बढ़ाने के उद्देश्य से एक अलग परिवार के रूप में माना जाएगा।

46. 05.08.2013 पर नीति में किया गया संशोधन यह है कि एक बड़े बेटे के बजाय, अभिव्यक्ति "एक बड़े बेटे/पोते" उसकी वैवाहिक स्थिति के बावजूद "प्रतिस्थापित किया गया था। इसी तरह, शब्द

" अविवाहित बेटी/बहन की आयु 30 वर्ष से अधिक थी।

"मेजर अविवाहित बेटी/मेजर अविवाहित" के साथ प्रतिस्थापित

पोती/मेजर अविवाहित बहन "।

47. इन संशोधनों के संबंध में प्रतिद्वंद्वी तर्क थे कि एक ओर, भूमि मालिकों ने आग्रह किया कि मूल लाभार्थियों के अलावा पोते भी रोजगार लाभ के हकदार हैं, जैसा कि अविवाहित बेटियां थीं, जो 30 वर्ष से अधिक थीं। दूसरी ओर, एम. सी. एल. ने आग्रह किया कि पुनर्वास का मूल विचार विस्थापित या प्रभावित परिवार के एक सदस्य को रोजगार देना है, नीति का निर्माण उस इरादे के अनुरूप होना चाहिए, और इसके परिणामस्वरूप रोजगार का लाभ नहीं होना चाहिए, इस प्रकार एम. सी. एल. पर अनुचित बोझ पड़ना चाहिए। 48. रोजगार लाभों और अधिकारों के संबंध में नीति की एक उचित और उद्देश्यपूर्ण व्याख्या एकत्र की जा सकती है, न केवल "परिवार" की परिभाषा पर ध्यान दिया जा सकता है, बल्कि परिचालन भाग पर भी ध्यान दिया जा सकता है, जो लाभ प्रदान करता है। वही इस प्रकार हैः

" II. टाइप बीः खनन परियोजनाएं

(क) रोजगारः विस्थापन का कारण बनने वाली परियोजना से विस्थापित और अन्य प्रभावित परिवार रोजगार के लिए पात्र होंगे। रोजगार के उद्देश्य से, प्रत्येक परिवार नामित करेगा

परिवार का एक सदस्य।

2] 19 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

49. यदि कोई इस बात पर विचार करता है कि नीति क्या हासिल करना चाहती है, तो यह स्पष्ट है,

कि विस्थापित परिवार के एक सदस्य को उस व्यक्ति को नामित करना होगा जो रोजगार लाभ प्राप्त कर सकता है। इस संदर्भ में, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि लाभ पहली बार में "व्यक्ति" को दिया जाना है। नोट यह कहते हुए कवरेज के क्षेत्र का विस्तार करता है कि एक बड़े बेटे को एक अलग परिवार से संबंधित माना जाएगा। जाहिरा तौर पर इसका कारण यह है कि परिवार का सबसे वरिष्ठ सदस्य हमेशा परिवार में नहीं हो सकता है। नौकरी करने की स्थितिः या तो उम्र, या दुर्बलता, या सेवा के बचे वर्षों की संख्या के कारण। इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि रोजगार

इस तरह की सीमाओं के कारण लाभों से इनकार नहीं किया जाता है, परिवार की परिभाषा का जानबूझकर विस्तार किया गया है, जिसमें एक बड़ा बेटा शामिल है, जो रोजगार के लिए पात्र होगा, और, यदि उसके पिता या माँ को शामिल नहीं किया जा सकता है।

नियोजित, या केवल एक छोटी अवधि के लिए नियोजित किया जा सकता है। का समावेशन

एक पोते को उस संदर्भ में देखा जाना चाहिए। एक बड़े बेटे के साथ "पोते" की श्रेणी को जोड़ना, "एक बड़े बेटे/पोते को उसकी वैवाहिक स्थिति के बावजूद" पढ़ने के लिए एक ही निष्कर्ष पर ले जाता है। इस प्रकार, 2013 के संशोधन के साथ, प्रभावित व्यक्ति और उसके बड़े बेटे (जिसे एक अलग परिवार के रूप में माना जाना है) की मूल पात्रता से इनकार नहीं किया जा सकता है। एक पोते को शामिल करना, अलग के रूप में नहीं

श्रेणी, लेकिन प्रमुख पुत्र के साथ, यह सुनिश्चित करने के लिए है कि यदि, कुछ के लिए इस वजह से, बेटा नौकरी के योग्य नहीं है, या बदले में बूढ़ा है, या कमजोर है, तो उसके स्थान पर बड़े पोते को नियुक्त किया जाएगा। दूसरे शब्दों में,

इस शर्त की उचित व्याख्या यह है कि पिता इसके हकदार होंगे। रोजगार के लिए; यदि कोई बड़ा बेटा मौजूद है, तो वह बड़ा बेटा भी होगा। हालाँकि, यदि एक से अधिक बड़े बेटे हैं, तो उनमें से एक लाभ का हकदार होगा, सभी नहीं। इसी तरह, एक बड़े बेटे की विफलता,

परिभाषा और रोजगार से संबंधित खंड स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि परिवार के दो सदस्यः अर्थात्, पिता और पुत्र पात्र हैं। इसके अलावा, एक अविवाहित बेटी को भी एक अलग इकाई के रूप में माना जाएगा। 50. इसलिए यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि 2013 में संशोधित अनुसंधान एवं अनुसंधान नीति 2006, अधिक लाभकारी होने के कारण, उपरोक्त व्याख्या के अधीन, लागू होगी। साथ ही, यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे मामलों में जहां कोई भी महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड है।

& एएनआर। वी. मैथियस ओरम और ओआरएस। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

यदि उसने रोजगार स्वीकार कर लिया है, तो इस मुद्दे को फिर से नहीं खोला जा सकता है-इसे अंतिम और बाध्यकारी माना जाएगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि विस्थापित परिवारों में से किसी की भी रोजगार में रुचि नहीं है, और इतना स्पष्ट रूप से कहता है, तो 2006 की नीति के खंड 3 के संदर्भ में एक बार के मौद्रिक भुगतान का विकल्प प्रदान किया जाएगा। 51. इसलिए, उपरोक्त चर्चा के आलोक में, यह माना जाता है कि हालांकि 2013 में संशोधित आर एंड आर नीति 2006 लागू है,

पिता, पुत्र और पोते के साथ-साथ रोजगार लाभ के लिए पात्र होने का सवाल ही नहीं उठता है। या तो एक बड़ा बेटा, या उसकी अनुपस्थिति में, या अनिच्छा में, एक बड़ा पोता, पात्र होगा। यह अविवाहित बेटियों की पात्रता के अलावा हैः उनके मामले में, परिभाषा के उपरोक्त नोट में ऐसी बेटियों को एक अलग परिवार के रूप में माना गया था; संशोधन ने केवल आयु सीमा को हटा दिया है। 52. उपरोक्त तर्क के परिणामस्वरूप, बिंदु संख्या 3,4 और 5 के संबंध में यह माना जाता है कि 2013 में संशोधित आर एंड आर नीति 2006 लागू होगी। एक विस्थापित परिवार को परिभाषा के आलोक में निर्धारित किया जाना चाहिए, जिसमें व्यक्ति, और एक बड़ा बेटा और एक अविवाहित बेटी शामिल है। यह तब होता है जब किसी कारण से बेटे को नौकरी की पेशकश या दिया नहीं जा सकता है, तो एक बड़ा पोता विचार के लिए पात्र होगा। यह न्यायालय यह भी मानता है कि जिन मामलों ने अंतिमता प्राप्त कर ली है, उन्हें इस व्याख्या के आधार पर फिर से नहीं खोला जा सकता है। व्याख्या उन मामलों के संबंध में होगी जहां रिपोर्ट को मंजूरी नहीं दी गई है, यानी तुमुलिया, झुपुरंगा, रतनसारा और किर्पसरा गाँव।

53. सुनवाई के दौरान, विद्वान ए. एस. जी. ने प्रस्तुत किया था कि एम. सी. एल. इसके बदले में एक बार के मुआवजे की राशि प्रदान करने के लिए तैयार है। 2006 की नीति के विकल्प के रूप में 16 लाख रुपये का रोजगार। इसलिए यह निर्देश दिया जाता है कि जो भी विकल्प (आर एंड आर पॉलिसी 2006 या एम. सी. एल. से यह एकमुश्त मुआवजे का प्रस्ताव) बेहतर हो, वह प्रदान किया जाए। संबंधित कलेक्टर को यह सुनिश्चित करना है।

IV. प्वाइंट नंबर 6: आवास भूखंडों का हक

54. एम. सी. एल. ने पुनर्वास भूखंडों के संदर्भ में गाँववार पुनर्वास लाभों के संबंध में विवरण और विवरण प्रदान किए हैं।

इन विवरणों के अनुसार, कुल 3034 विस्थापित परिवारों में से 1420 परिवारों के पक्ष में भूखंडों में पुनर्वास लाभ स्वीकृत किए गए थे, जिनमें से 1177 परिवारों को ऐसे लाभ प्रदान किए गए थे। 1614 परिवारों को अभी तक इन पुनर्वास लाभों/भूखंडों को मंजूरी नहीं दी गई है।

चार्ट, जो

[2022] 19 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एम. सी. एल. के अनुसार अक्टूबर 2021 तक की तस्वीर नीचे दी गई है:

विलेज वाइज रीसेटलमेंट बेनिफिट्स (अक्टूबर 2021 तक)

गाँव	कुल विस्थापित हुए।	पुनर्वास। परिवार	पुनर्वास। लाभ/प्लॉट	देय शेष राशि लाभ लाभ// भूखंड स्वीकृत प्रदान किया गया	पुनर्वास। मंजूर किया गया
टिकिलीपारा	406	19	4	212	181
सरदेगा	174	179		152	5
बालिंगा					

280

249

240

31

बांकीबहल

15

118

135

120

1031

336

258

गोपालपुर

69

5

गर्जनबहल 350

211

13

9

141

61

86

कुलदा

56

25

कार्लिकाचर 153

12

6

14

1

सियारमल

188

36

15

2

22

21

7

9

226

बांगुरकेला

3

कुल

3034

1420

16

14

1177

55. अक्टूबर 2021 तक पुनर्वास स्थलों की स्थिति,

एमसीएल के लिए, निम्नानुसार हैः

एस. आई. क्षेत्र का नाम (लगभग प्लॉट गाँवों में)

टिप्पणियां

पुनर्वास

एकड़)

आवंटित किया गया

प्लॉट

पुनर्स्थापित किया गया

नहीं।

विकसित किया गया

साइट

स्थिति

स्थल का

टिकिलीपारा-132, पहले से ही पुनर्स्थापित

256

1

बसुंधरा

सरदेगा-124

नागर

बांकीबहल पहले से ही पुनर्स्थापित है

68

बारपाली-I

2 बाबा

बारपाली-II 15.00

गर्जनबहल

3

70

लगभग

सभी गतिविधियाँ

75

पूरा हो

गया है,

पानी की

आपूर्ति

आर एंड

आर साइट पहले से ही है

व्यवस्था की

गई। साइट

पूरी तरह से तैयार है

गाँव वालों

को स्थानांतरित करना

गर्जनबहल।

कुलदा-12,

छातेनपल्ली

आर एंड आर साइट

4

158

छटेनपाली 61.95

315

बुनियादी

ढांचा कहाँ है

सियारमल-146

पॉकेट के

लिए सुविधा-ए है

इसके

अलावा पूरी तरह से तैयार

बिजली की आपूर्ति, यह है

स्थापित

होने की संभावना

जल्द ही।

कार्लिकाचर,

अस्थायी

5 बदखलिया

सड़क

0

बांगुरकेला निर्माण

के लिए

स्थल के

पास पहुँच रहा है

पूरा किया।

हो चुका है

प्रस्ताव

के लिए

विभिन्न महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड का विकास करना। & एएनआर। वी. मैथियस ओरम और ओआरएस। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

स्थल की

गतिविधियाँ
रु. की राशि। 27.00

प्रस्ताव

स्वीकृत

और ई-निविदा
आमंत्रित किया गया है

डीटीः

31.07.2020 . टेंडर
खोला गया।

पर

और

डीटीः

29.08.2020

कार्य

आदेश दिया गया है

जारी

किया गया

पर

डीटीः

24.11.2020 .

सारंगीझारिया। 88.00 440

22 नं.

प्रस्ताव का

0

6

गोपालपुर

विकास के

बारे में।

साइट

में से

आर एंड आर

सारंगीझा

रिया ने किया है

संसाधित

और भेजा गया

अनुमोदन

के लिए एम. सी. एल. मुख्यालय।

56. सुनवाई के दौरान, एमसीएल ने तर्क दिया कि इस पर अनिच्छा थी

पुनर्वास स्थलों के बारे में ग्रामीणों का हिस्सा जिसने इसके लिए समस्याएं पैदा की हैं। इसलिए यह आग्रह किया गया कि संबंधित कलेक्टर

समयबद्ध तरीके से स्थलों को अंतिम रूप दिया जाना चाहिए जिसके बाद एम. सी. एल. को उन्हें विकसित करने के लिए समयबद्ध निर्देश भी दिए जाने चाहिए। वैकल्पिक रूप से, यह आग्रह किया गया कि लंबे समय तक पुनर्वास/पुनर्वास के बजाय

प्रक्रिया, जिसमें कई प्राधिकरणों की भागीदारी की परिकल्पना की गई है, अदालत इसे उचित मान सकती है और भूखंडों के बदले में एक बार की एकमुश्त राशि प्रदान कर सकती है-आगे जहां भी भूखंडों को निर्धारित किया गया है, आवंटित किया गया है, और विकास और आवंटन की प्रक्रिया में, ऐसे वर्गों को नहीं होना चाहिए

परेशान करती हैं। इस संबंध में यह आग्रह किया गया कि जो स्थल स्थानांतरण और स्थानांतरण के लिए तैयार हैं, दावा आयोग के आदेश के अनुसार, आवास निर्माण अग्रिम राशि को ₹ 2,24,000/- से बढ़ाकर ₹ 2,24,000/- कर दिया गया है।

14,50,000 / - .

57. भूमि मालिकों की ओर से यह आग्रह किया गया कि आर एंड आर

राज्य की नीति में परिकल्पना की गई है कि विस्थापित लोगों को आम तौर पर एक भूखंड प्रदान किया जाना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि राज्य के अधिकारियों ने प्रक्रिया में अनुचित देरी की है। यह आगे प्रस्तुत किया गया कि यह देखते हुए कि अधिकांश विस्थापित परिवार समाज के सबसे गरीब वर्गों से हैं और

अनुसूचित जनजाति समुदायों से हैं, नकद मुआवजा देना उचित नहीं होगा, बल्कि राज्य के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पुनर्वास भूखंड दिए जाएं।

58. राज्य की नीतियों के संदर्भ में पुनर्वास लाभों में शामिल हैं -

भूखंडों का विकास और विस्थापित परिवारों को आवंटन, जो "उपलब्धता के अधीन" है। स्थानांतरण के लिए एक बार की सहायता @₹50,000/-; घर [2022] 19 एस. सी. आर.

₹ 1,50,000 का भवन भत्ता बढ़ा दिया गया है।

14,50,000 . एम. सी. एल. द्वारा दिखाए गए आंकड़ों के साथ-साथ रखी गई सामग्री

भूमि मालिकों द्वारा आपत्तियों के रूप में अभिलेख में यह खुलासा किया गया है कि निर्धारित स्थलों में भूमि के विकास की प्रगति निराशाजनक रही है, इसे हल्के से कहें। एमसीएल इसमें दोष के हिस्से से बच नहीं सकता है।

ध्यान दें।

59. आर एंड आर अधिनियम, 2013 के तहत राज्य और एम. सी. एल.

यह सुनिश्चित करने का दायित्व कि विस्थापित मालिकों के परामर्श से पुनर्वास और पुनर्वास योजनाएं तैयार की गई हैं। इस संबंध में राज्य की नीति भी अधिनियम के अनुसार है। वर्तमान मामले में,

एमसीएल का कहना है कि 1177 विस्थापित परिवारों को पुनर्वास भूखंड प्रदान किए गए हैं और 1614 परिवारों को यह लाभ दिया जाना बाकी है।

60. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इस न्यायालय का निर्णय था

2010 में दिया गया जिसके बाद मुआवजे का निर्धारण और समिति की रिपोर्ट तैयार की गई और ज्यादातर इस अदालत को प्रस्तुत की गई 2010 और 2013 के बीच, और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि दो अन्य रिपोर्ट इस अदालत में विचाराधीन हैं, यह उचित होगा कि जिन पुनर्वास भूखंडों का अधिग्रहण किया गया है, उन्हें इस अदालत के साथ परामर्श करके विकसित किया जाए।

कलेक्टर। कलेक्टर उचित प्रचार देने के बाद सुनवाई करेंगे।

भूमि मालिक, स्थान का संकेत देते हुए और सभी भूमि मालिकों और हितधारकों को उपस्थित होने के लिए पर्याप्त समय प्रदान करते हुए। भूमि मालिकों के विचारों पर विचार करने के बाद, कलेक्टर को तीन नोडल अधिकारियों की भागीदारी के साथ कार्यान्वयन का कार्य विशेष रूप से सौंपा जाएगा।

पुनर्वास नीति, सभी राज्य एजेंसियों के साथ समन्वय करके, भूखंडों को अंतिम रूप दें और उन्हें मंजूरी दें। यह प्रक्रिया नौ दिनों के भीतर पूरी की जानी चाहिए। इस अदालत के महीनों के फैसले। न्यायालय की यह भी राय है कि ऐसे भूखंडों का विकास कुल मिलाकर 15 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए।

61. यदि भूखंडों की संख्या अपर्याप्त है, तो कलेक्टर

संबंधित विस्थापित परिवारों से पहली बार में विकल्प सुरक्षित करेगा, चाहे वे एक भूखंड आवंटित करना चाहते हों या उसके बदले में एकमुश्त मुआवजा लेना चाहते हों। इन विकल्पों को सुरक्षित करने के बाद, यदि भूमि मालिकों की संख्या भूखंडों की संख्या से अधिक हो जाती है, तो कलेक्टर यह सुनिश्चित करेगा कि पुनर्स्थापन भूखंडों को ड्रॉ के बाद आवंटित किया जाए। जहाँ तक भूमि मालिकों का संबंध है जो भूखंड को

सुरक्षित नहीं कर सकते हैं, इस अदालत की राय है कि उन्हें 25 लाख रुपये तक का एकमुश्त मुआवजा दिया जाना चाहिए।

महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड। & एएनआर। वी. मैथियस ओरम और ओआरएस। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

62. यह न्यायालय इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए ऊपर दर्शाई गई प्रक्रिया को अपनाने के लिए विवश है कि मुआवजे की प्रक्रिया

पुनर्वास स्थलों के निर्धारण, पहचान और विकास में अत्यधिक लंबा समय लगा है-जिसके दौरान विस्थापित परिवारों में जन्म और मृत्यु के कारण कई परिवर्तन हुए होंगे। इसलिए यह उचित और न्याय के हित में होगा कि किसी न किसी स्तर पर संपूर्ण पुनर्वास और पुनर्वास प्रक्रिया को समाप्त कर दिया जाए और जब भी भूखंड प्रदान करना संभव न हो, भूमि मालिकों को नकद लाभ के माध्यम से पुनर्वास और पुनर्वास प्रदान किया जाए।

प्वाइंट नंबर 7: सुविधाओं और सुविधाओं का निर्माण जैसे -

वी.

विद्यालय, सामुदायिक केंद्र, चिकित्सा सुविधाएं आदि।

63. उड़ीसा पुनर्वास और पुनर्वास नीति उन सुविधाओं और सुविधाओं के संबंध में विशिष्ट प्रावधानों का संकेत नहीं देती है जिन्हें विकसित किया जाना है। नतीजतन, तीसरी अनुसूची के प्रावधान

आर एंड आर अधिनियम, 2013, जो 25 शीर्षों की रूपरेखा तैयार करता है और गांवों में सड़कों, उचित जल निकासी, प्रत्येक परिवार के लिए सुरक्षित पेयजल का प्रावधान, मवेशियों के लिए पीने के पानी का प्रावधान, चराई के लिए भूमि, उचित संख्या में उचित मूल्य की दुकानें, सामुदायिक या पंचायत घर; ग्राम स्तर के डाकघर, बीज-सह-उर्वरक भंडारण सुविधाओं का प्रावधान, बुनियादी सिंचाई सुविधाओं का प्रावधान, नए रहने वाले क्षेत्रों में परिवहन, दफन या दाह संस्कार स्थल, व्यक्तिगत शौचालय, व्यक्तिगत एकल बिजली कनेक्शन, आंगनवाड़ी, बाल पोषण सेवाएं प्रदान करने, स्कूल, दो किलोमीटर के दायरे में उप-स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जैसे सुविधाओं का संकेत देता है।

केंद्र सरकार के मानदंड, बच्चों के लिए खेल का मैदान, प्रत्येक 100 परिवारों के लिए एक सामुदायिक केंद्र, पूजा स्थल, बच्चों के लिए अलग भूमि।

पारम्परिक जनजातीय संस्थान आदि। इसके अलावा, वनवासी परिवारों को पुनर्वास के नए स्थानों के पास गैर-लकड़ी की उपज पर उनके वन प्रदान किए जाने चाहिए। इसके अलावा, उचित सुरक्षा व्यवस्था निर्धारित मानदंडों के अनुसार सेवा केंद्र भी प्रदान किए जाने हैं।

64. वर्तमान मामले में, अभिलेख पर सामग्री से पता चलता है कि उन पुनर्वास स्थलों को निर्धारित किया गया है और वे विभिन्न चरणों में हैं।

विकास। कानून का अधिदेश-अर्थात, तीसरी अनुसूची

आर एंड आर अधिनियम, 2013 बहुत स्पष्ट है कि पुनर्वास क्षेत्रों में से प्रत्येक में आबादी के अनुरूप सभी सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। इन परिस्थितियों में, इन दायित्वों से बचना संभव नहीं है। राज्य सरकार, अपनी उपयुक्त एजेंसियों के माध्यम से [2022] 19 एस. सी. आर.

ऐसी सुविधाओं के निर्माण के लिए एक व्यापक योजना तैयार करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे कार्यात्मक हों ताकि सार्थक तरीके से पुनर्वास और पुनर्वास को पूरा किया जा सके।

65. इसकी ओर से प्रस्तुतियों के दौरान आग्रह किया गया था

गाँव रतनसारा सुश्री कमलप्रीत कौर, विद्वान अधिवक्ता द्वारा, कि अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के लिए मौजूदा लाभ होना चाहिए

संरक्षित। इस संबंध में यह प्रस्तुत किया गया था कि सुंदरगढ़, जहां अधिग्रहण किया गया है, पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। भारत का संविधान। आर एंड आर अधिनियम, 2013 की धारा 41 और 42 इस प्रकार हैः

" 41. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान। – (1) जहां तक संभव हो, भूमि का कोई अधिग्रहण नहीं किया जाएगा।

अनुसूचित क्षेत्रों में बनाया जाए।

(2) जहां ऐसा अधिग्रहण होता है, वह किया जाएगा।

केवल एक प्रदर्शन योग्य अंतिम उपाय के रूप में। (3) किसी भी भूमि के अधिग्रहण या अलगाव के मामले में

संविधान की पांचवीं अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में उपयुक्त स्तर पर संबंधित ग्राम सभा या पंचायतों या स्वायत्त जिला परिषदों की पूर्व सहमति, इस अधिनियम या किसी अन्य केंद्रीय अधिनियम या किसी राज्य के तहत अधिसूचना जारी करने से पहले, ऐसे क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण के सभी मामलों में, जिसमें तत्काल अधिग्रहण भी शामिल है, प्राप्त की जाएगी।

वर्तमान में लागू अधिनियमः

बशर्ते कि मामलों में पंचायतों या स्वायत्त जिला परिषदों की सहमति प्राप्त की जाएगी

जहाँ ग्राम सभा मौजूद नहीं है या नहीं है

गठित किया गया।

(4) किसी आवश्यक निकाय की ओर से भूमि अधिग्रहण से जुड़ी परियोजना के मामले में, जिसमें अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के परिवारों का अनैच्छिक विस्थापन शामिल है, एक विकास योजना तैयार की जाएगी, जो ऐसे प्रपत्र में तैयार की जाएगी, जिसमें भूमि अधिकारों के निपटारे के लिए प्रक्रिया का विवरण निर्धारित किया जाएगा, लेकिन उनका निपटारा नहीं किया जाएगा और अनुसूचित जनजातियों के साथ-साथ अनुसूचित जातियों के स्वामित्व को पुनर्स्थापित करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जाएगा।

भूमि अधिग्रहण।

हनाडी कोल फील्ड्स लिमिटेड। & एएनआर। वी. मैथियस ओरम और ओआरएस। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

(5) विकास योजना में पांच साल की अवधि के भीतर गैर-वन भूमि पर वैकल्पिक ईंधन, चारा और गैर-लकड़ी वन उपज संसाधनों के विकास के लिए एक कार्यक्रम भी शामिल होगा, जो आदिवासी समुदायों के साथ-साथ अनुसूचित जातियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगा।

(6) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्यों से अधिग्रहित की जा रही भूमि के मामले में, देय मुआवजे की राशि का कम से कम एक तिहाई हिस्सा प्रभावित परिवारों को शुरू में पहली किश्त के रूप में दिया जाएगा और बाकी का भुगतान भूमि का कब्जा लेने के बाद किया जाएगा।

(7) अनुसूचित जनजातियों के प्रभावित परिवारों को अधिमानतः उसी अनुसूचित क्षेत्र में एक सघन खंड में पुनर्स्थापित किया जाएगा ताकि वे अपनी जातीय, भाषाई और सांस्कृतिक पहचान बनाए रख सकें।

(8) मुख्य रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों द्वारा बसे पुनर्वास क्षेत्रों को भूमि मिलेगी, उस हद तक जो उपयुक्त सरकार द्वारा सामुदायिक और सामाजिक समारोहों के लिए मुफ्त में तय की जा सकती है।

पुनर्वास और पुनर्वास लाभ मूल आदिवासी भूमि मालिकों या अनुसूचित जातियों से संबंधित भूमि मालिकों को उपलब्ध कराए जाएंगे। (10) प्रभावित अनुसूचित जनजातियाँ, अन्य पारंपरिक वनवासी और अनुसूचित जातियाँ जिन्हें मछली पकड़ने का अधिकार है

प्रभावित क्षेत्र में नदी या तालाब या बांध को सिंचाई या पनबिजली परियोजनाओं के जलाशय क्षेत्र में मछली पकड़ने का अधिकार दिया जाएगा।

पचास हजार रुपये की एकमुश्त पात्रता के साथ मौद्रिक शर्तों में हकदार हैं। 42. आरक्षण और अन्य लाभ। - (1) सहित सभी लाभ

अनुसूचित जनजातियों और [2022] 19 एस. सी. आर. को उपलब्ध आरक्षण लाभ।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रभावित क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों में जारी रहेगा

पुनर्वास क्षेत्र।

(2) जब भी अनुसूचित जनजातियों से संबंधित प्रभावित परिवार, जो पांचवीं अनुसूची में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों या संविधान की छठी अनुसूची में निर्दिष्ट जनजातीय क्षेत्रों में रह रहे हैं, उन्हें उन क्षेत्रों से बाहर स्थानांतरित किया जाता है, तो इस अधिनियम के तहत उनके द्वारा प्राप्त किए जा रहे सभी वैधानिक सुरक्षा उपायों, अधिकारों और लाभों को उस क्षेत्र में विस्तारित किया जाएगा जहां वे पुनर्स्थापित हैं, इस बात की परवाह किए बिना कि पुनर्वास क्षेत्र उक्त पांचवीं अनुसूची में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्र है, या उक्त छठी अनुसूची में निर्दिष्ट आदिवासी क्षेत्र है।

अनुसूची, या नहीं।

(3) जहाँ सामुदायिक अधिकारों का निपटारा किया गया है

अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक प्रावधान

वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2), इसकी मात्रा मौद्रिक राशि में निर्धारित की जाएगी और इसका भुगतान संबंधित व्यक्ति को किया जाएगा जिसे ऐसे सामुदायिक अधिकारों में अपने हिस्से के अनुपात में भूमि अधिग्रहण के कारण विस्थापित हुए।

66. जैसा कि स्पष्ट है, आर एंड आर अधिनियम, 2013 का सूक्ष्म अनुप्रयोग है

और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के सदस्यों की कठिनाइयों को रोकने के लिए विशेष प्रावधान करता है। धारा 41 में यह सुनिश्चित करने के लिए समीक्षा अभ्यास की आवश्यकता है कि अर्जित किए जाने वाले क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को कम से कम संभावित नुकसान हो। यह यह भी अनिवार्य करता है कि कानूनों और विनियमों की अवहेलना करते हुए आदिवासी भूमि या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित भूमि के अलगाव को अमान्य करते हुए एक विकास योजना और सुरक्षात्मक प्रावधानों का निर्माण किया जाए। दूसरी ओर, धारा 42 यह सुनिश्चित करती है कि प्रभावित क्षेत्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए उपलब्ध आरक्षण लाभों सहित सभी लाभ पुनर्वास क्षेत्र में जारी रहेंगे। इस मामले में, एमसीएल के पक्ष में अधिग्रहण के कारण भूमि मालिकों को विस्थापित कर दिया गया था, जो पूरी तरह से अनैच्छिक है। यह विवाद में नहीं है कि ये विस्थापित परिवार/भूमि मालिक पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों के निवासी हैं।

67. जहां तक धारा 41 की बात है, इस अदालत की राय में, यह देखते हुए कि अधिग्रहण अधिसूचना 1988 में जारी की गई थी और 1990 में इसे अंतिम रूप दिया गया था

और यहाँ तक कि इस अदालत का निर्णय भी कार्यप्रणाली का संकेत देता है मुआवजे का निर्धारण 2010 में किया गया था, जिसमें महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड को देने का सवाल था।

& एएनआर। वी. मैथियस ओरम और ओआरएस। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

धारा 41 के संदर्भ में अतिरिक्त विचार उत्पन्न नहीं होता है। हालांकि। चूंकि विस्थापित परिवारों के पुनर्वास और उनके पुनर्वास को आर एंड आर अधिनियम, 2013 के दोनों प्रावधानों द्वारा अनिवार्य किया गया है, जो चल रहे अधिग्रहण के साथ-साथ आर एंड आर नीति 2006 पर भी लागू होता है, इसलिए यह सुनिश्चित करने का दायित्व है कि विस्थापित व्यक्तियों के लाभों को एससी/एसटी के रूप में उनकी स्थिति से वंचित करके गंभीर और अपूरणीय पूर्वाग्रह में न डाला जाए। यह आर एंड आर अधिनियम, 2013 की धारा 42 द्वारा अनिवार्य है जो निर्देश देता है कि जब भी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की भूमि का अधिग्रहण किया जाता है, तो उनके विस्थापन की आवश्यकता होती है, या तो क्षेत्रों या उन क्षेत्रों के संदर्भ में जहां वे रहते हैं, जिससे वे अन्य क्षेत्रों में चले जाते हैं जहां उनकी जनजाति या जाति को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती है-वह दर्जा जो वे प्राप्त करते हैं लेकिन विस्थापन के लिए संरक्षित और संरक्षित किया जाना चाहिए। इस न्यायालय की राय में, इस वैधानिक आदेश और दायित्व को राज्य या एजेंसी द्वारा कानून के रूप में अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त चर्चा के परिणामस्वरूप, यह माना जाता है किः

आई.

तीसरी अनुसूची में निर्धारित सुविधाएं और सुविधाएँ

आर एंड आर अधिनियम, 2013 अनिवार्य रूप से इस मामले में शामिल विस्थापित परिवारों को पुनर्वास क्षेत्रों में प्रदान किया जाना चाहिए जहां वे स्थित हैं और जहां वे अंततः स्थित हैं।
तक जाएँ; और

इस मामले में एससी/एसटी के सभी सदस्य जिन्हें स्थानांतरित करने के लिए मजबूर किया जाता है

11 .

अधिग्रहण के कारण उनकी भूमि से ऐसा करें

अनजाने में। परिणामस्वरूप वे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के रूप में माने जाने के अधिकार के हकदार हैं। राज्य अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि विस्थापित परिवारों के सदस्य और जिनकी सूचियां आयोग के साथ-साथ एम. सी. एल. द्वारा रखी जाती हैं, उन्हें नए एस. सी./एस. टी. प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे।

C. निष्कर्ष और निर्देश

68. निम्नलिखित चर्चा को ध्यान में रखते हुए, यह निम्नानुसार आयोजित किया जाता हैः

आई.

रीप्वाइंट नं। 1 - अधिग्रहित भूमि के लिए क्षतिपूर्तिः काट-ऑफ

अधिग्रहित भूमि के लिए मुआवजे का निर्धारण करने की तारीख गांव गोपालपुर के संबंध में इस अदालत द्वारा अनुमोदित कट-ऑफ तिथि, यानी सितंबर 2010 पर आधारित होनी है। साथ ही, यह निर्देश दिया जाता है कि चूंकि सामान्य कट-ऑफ तिथि को स्वीकार कर लिया गया है, इसलिए मुआवजे और मुआवजे पर वैधानिक ब्याज सहित इससे प्राप्त होने वाले सभी लाभ पूरे अधिग्रहण के लिए उस कट-ऑफ तिथि के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं।

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

रीप्वाइंट नं। 2- आर एंड आर अधिनियम, 2013 की प्रयोज्यता परः आर एंड आर अधिनियम उस तारीख से पहले लागू नहीं हो सकता है जब इसे लागू किया गया था, यानी 01.01.2014 से पहले। वर्तमान मामले में, यह

यह उस तारीख से लागू होता है जब केंद्र सरकार ने अधिनियम में निर्दिष्ट पहली, दूसरी और तीसरी अनुसूचियों की कार्यवाही को लागू करने के लिए एक अधिसूचना जारी की थी।

चौथी अनुसूची, जो इस मामले में सी. बी. ए. अधिनियम था। अतः जिस तारीख से आर एंड आर अधिनियम, 2013 लागू होता है, वह 28.08.2015 है। इसके अलावा, उस तारीख से पहले जिस रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया गया था, उसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।

गाँवों में रहने वाले भूमि मालिकों और विस्थापित परिवारों के लिए जिनकी रिपोर्ट पहले तैयार की गई थी।

28.08.2015 , इसलिए आर एंड आर अधिनियम, 2013 के लाभों के हकदार नहीं होंगे। इसलिए, आर एंड आर अधिनियम के लाभ किरिप्सिरा, रतनसारा, झुपुरंगा और तुमूलिया के विस्थापित परिवारों और भूमि मालिकों पर लागू होते हैं। रीप्वाइंट नं। 3 , 4 और 5:

यह अभिनिर्धारित किया गया है कि आर एंड आर नीति 2006 द्वारा संशोधित

ए।

2013 की नीति रोजगार के उद्देश्य से लागू होती है।

लाभ होता है।

बी।

एक परिवार इकाई में परिवार का मुखिया या सदस्य शामिल होंगे।

पिता, एक बड़ा बेटा, और एक अविवाहित बेटी परिभाषा और उसके साथ संलग्न नोट को ध्यान में रखते हुए। यदि, किसी कारण से, बड़े बेटे को रोजगार नहीं दिया जा सकता है, और एक बड़ा पोता मौजूद है, तो वह विचार के लिए पात्र होगा। दूसरे शब्दों में, दो सदस्य (पिता और पुत्र या पिता और पोते) रोजगार के लिए पात्र होंगे, न कि तीन, अविवाहित बेटी के अलावा, जिसे भी अलग इकाई माना जाना है।

इस अदालत की राय है कि आयोग कर सकता है

सी।

परिवर्तन के आधार पर निर्णयों को फिर से नहीं खोला जाता है

राज्य की नीतियों को देखते हुए कि लाभ

इसके द्वारा तथ्यात्मक निर्धारणों के आधार पर निर्णय लिया गया है। कई मामलों में, एमसीएल ने वास्तव में

कई व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया।

नतीजतन, यह माना जाता है कि सभी मामले जो न्यायनिर्णित किया गया और इस न्यायालय द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया

फिर से खोला जाए।

डी. ए. एल. फील्ड्स लिमिटेड & एएनआर। वी. मैथियस ओरम और ओआरएस। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

बिनत नं. 6 :

आवास भूखंडों के मुद्दे पर, यह घोषित और निर्देशित किया जाता है कि राज्य और एम. सी. एल. यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य हैं कि उनके द्वारा अधिग्रहित भूमि को उन क्षेत्रों में विकसित किया जाए जिन्हें विकसित किया जाना है। राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि

विभागों से कम से कम तीन नोडल अधिकारी

संबंधितों को इस कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए तैनात किया जाता है

सभी एजेंसियों के साथ समन्वय करना और यह सुनिश्चित करना कि भूखंडों का विकास विधिवत हो ताकि कलेक्टर निर्धारित समय के भीतर आवश्यक आवंटन कर सकें। इन नोडल अधिकारियों को राज्य द्वारा उचित माध्यम से विधिवत अधिकार दिए जाएंगे।

सभी आवश्यक परिणाम जारी करने के लिए अधिसूचनाएँ

पुनर्वास और पुनर्वास उपायों के कार्यान्वयन के लिए आदेश। उड़ीसा राज्य सरकार के मुख्य सचिव अधिकारियों का चयन करेंगे,

और आवश्यक अधिसूचनाएँ जारी करें। इसके अलावा,

राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि ये अधिकारी नहीं हैं

कम से कम 3 साल के लिए, या कार्य तक पोस्ट किया गया

पुनर्वास और पुनर्वास पूरा हो गया है। कलेक्टर यह सुनिश्चित करेगा कि निर्धारित भूखंडों को उचित प्रचार और पर्याप्त सूचना देकर संबंधित गाँवों और भूमि मालिकों के लिए विधिवत अधिसूचित किया जाए। भूमि मालिकों के विचारों का पता लगाया जाएगा।

और नोट किया कि किस उद्देश्य के लिए, स्थान, तिथि और समय निर्दिष्ट करते हुए पर्याप्त सूचना दी जाएगी

परामर्श लें।

यदि कोई व्यक्तिगत भूमि स्वामी नहीं है

भूखंडों के आवंटन के लिए इच्छुक, यह इसके लिए खुला है

उन्हें ऐसा कहना है। ऐसी स्थिति में कलेक्टर अपने अस्वीकरण को स्पष्ट रूप से लिखित रूप में दर्ज करेगा और एक प्रमाण पत्र जारी करेगा। उस स्थिति में विस्थापित परिवार 25 लाख रुपये के एकमुश्त नकद निपटान का हकदार होगा। विस्थापित परिवारों के अधिकारों की संख्या का पता लगाने के बाद, और भूखंडों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, कलेक्टर लॉट का एक ड्रॉ आयोजित करेगा, और यदि आवश्यक हो, तो एक से अधिक लॉट का ड्रॉ, जिसके द्वारा प्लॉट [2022] 19 एस. सी. आर.

संबंधित विस्थापित परिवारों को आवंटित किए जाते हैं। यदि किसी भी कारण से ऐसा भूखंड या भूखंड दो साल के भीतर नहीं सौंपा जा सकता है, या उपलब्ध नहीं हैं, तो बचे हुए परिवार कहने के लिए हकदार होंगेः ब्याज के साथ
₹25 लाख का एकमुश्त मुआवजा

@ 7 % प्रति वर्ष, दो साल के लिए।

रीप्वाइंट नं। 7 :

राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि सभी सुविधाएं और सुविधाएँ

ए।

तीसरी अनुसूची के अनुसार विकसित किए जाते हैं

आर एंड आर अधिनियम, 2013 तीन वर्षों के भीतर जिसमें इस निर्णय की तारीख से तीन वर्षों के भीतर विस्थापित परिवारों को या किसी भी घटना में भूखंड सौंप दिए जाते हैं। इस उद्देश्य के लिए आवश्यक धन राज्य के दायित्व के अलावा एम. सी. एल. द्वारा दिया जाएगा।

अपने संसाधनों को खर्च करना।

बी।

एससी/एसटी समुदायों के सदस्य होंगे

आर एंड आर अधिनियम, 2013 की धारा 42 को देखते हुए उनकी स्थिति के संरक्षण और संरक्षण के हकदार हैं। नतीजतन, संबंधित कलेक्टर यह सुनिश्चित करेंगे कि इस संबंध में उपयुक्त जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाएं, यह देखते हुए कि भूमि मालिकों को स्थानांतरित कर दिया गया है

अनैच्छिक रूप से और अन्य क्षेत्रों में पलायन करना होगा।

यह अदालत आगे निर्देश देती है कि किसी भी स्थिति में मुआवजे का निर्धारण पूरा किया जाएगा और आज से छह महीने के भीतर भुगतान किया जाएगा। आयोग यह सुनिश्चित करेगा कि इस कार्य को यथासंभव लिया जाए और उस समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए। नतीजतन, आयोग ग्राम किरिप्सिरा और रतनसारा के लिए रिपोर्ट को अंतिम रूप देगा। जहाँ तक झुपुरंगा और तुमूलिया की रिपोर्टों का संबंध है, आयोग तीन महीने के भीतर मुआवजे को फिर से निर्धारित करने का कार्य पूरा करेगा। राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि चार गाँवों के संबंध में मुआवजा आर एंड आर अधिनियम, 2013 के अनुसार निर्धारित किया जाए। जहां कहीं भी वास्तव में मुआवजे का वितरण नहीं किया गया है, राज्य इस निर्णय की घोषणा के 6 महीने के भीतर ऐसा करेगा।

एम. सी. एल. यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है कि रोजगार लाभ दिए जाते हैं और विस्तारित किए जाते हैं और डी. आई. सी. ओ. ए. एल. फील्ड्स लिमिटेड में प्रस्ताव दिए जाते हैं।

& एएनआर। वी. मैथियस ओरम और ओआरएस। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

2013 की नीति के अनुसार उन सभी मामलों में जहां रोजगार का विकल्प चुनने वालों की सूचियों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि जहां भी रोजगार प्राप्त हुआ है, उसे फिर से नहीं खोला जाएगा। इसी तरह, इस अदालत की व्याख्या के आधार पर रोजगार के लिए अधिकारों को फिर से खोलने का सवाल नहीं होगा

उन गाँवों के मामले में फिर से खोला गया है जहाँ पिछले आदेशों के माध्यम से रिपोर्ट स्वीकार की गई है।

यदि कोई परिवार यह वचन देता है कि उसके सदस्य इच्छुक नहीं हैं या रोजगार का विकल्प नहीं चुनना चाहते हैं, तो राज्य नोडल अधिकारियों के माध्यम से यह सुनिश्चित करेगा कि अस्वीकरण स्वैच्छिक है, और 2006 की नीति में या आर एंड आर अधिनियम, 2013 के तहत इंगित एक बार का मुआवजा या एमसीएल द्वारा 16 लाख रुपये का एक बार का प्रस्ताव, जैसा कि विद्वान एएसजी (जो भी अधिक फायदेमंद हो) द्वारा प्रस्तुत किया गया है, संबंधित परिवार को भुगतान किया जाता है। कलेक्टर को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह उपलब्ध हो।

न्यायालय एतद्द्वारा निर्देश देता है कि आयोग को अपना कार्य पूरा करना चाहिए और उसकी रिपोर्ट मुआवजे के वितरण के लिए आधार होनी चाहिए, प्रति परिवार 25 लाख रुपये का एकमुश्त पुनर्वास पैकेज जैसा कि ऊपर बताया गया है और

वरिष्ठ स्तर पर समाज कल्याण या राजस्व विभागों में अनुभव के साथ। यह आगे निर्देश दिया जाता है कि सभी संबंधित भूमि मालिक जो

जिन लोगों ने भूमि पर कब्जा करना जारी रखा है, वे मुआवजे के जमा होने पर इसे खाली कर देंगे। एम. सी. एल. को तुरंत ऐसी भूमि का अधिकार दे दिया जाएगा। कलेक्टर या संबंधित प्राधिकारी इस संबंध में एक प्रमाण पत्र जारी करेगा जो उन्हें एक बार के पुनर्वास भुगतान का हकदार बनाएगा या [2022] 19 एस. सी. के तहत मुआवजे या किसी अन्य लाभ के बदले में भुगतान

अधिनियम, उनके द्वारा प्रयोग किए गए विकल्प के अनुसार

ऊपर बताए गए तरीके।

69. अंत में यह निर्देश दिया जाता है कि मुआवजे की गणना, लाभों के वितरण आदि के कारण कोई भी नया विवाद होगा।

उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय लिया गया। यह अदालत विविध बातों पर विचार नहीं करेगी।

70. एतद्द्वारा यह अभिलिखित किया जाता है कि इस निर्णय में दिए गए निर्देश संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत पक्षों के साथ न्याय करने के लिए अपनी विशेष शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं। आदेश, यह सुनिश्चित करने के लिए था कि भूमि मालिकों को लंबे समय तक प्रतीक्षा करने के लिए और अधिक कठिनाई और पीड़ा न हो। उपरोक्त निर्देशों के अनुसार सभी मामलों का निपटारा किया जाता है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

मामले

निपटाए जाते हैं

दिव्या पांडे

(सहायकः अदनान खान, एलसीआरए)